INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

राजस्थान

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (4th ग्रेड)

(राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग (RSMSSB))

भाग – 2

राजस्थान का सामान्य ज्ञान + संविधान

प्रस्तावना

*प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स "**राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा (4th ग्रेड)**" को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को **राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग** द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा **"चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा "** में पूर्ण संभव मदद करेंगें* **/**

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं/

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : http://www.infusionnotes.com

WhatsApp करें - https://wa.link/0hjokf

Online Order करें - https://shorturl.at/Q6pjL

मूल्य : ₹	संस्करण : नवीनतम

	राजस्थान का इतिहास	
क्र.सं.	अध्याय	पेज नंबर
1.	प्रागैतिहासिक सभ्यताएं	1
2.	ऐतिहासिक केंद्र	5
3.	प्रमुख राजवंश	6
4.	स्वतंत्रता आंदोलन (1857 का स्वतंत्रता संग्राम)	44
5.	राजस्थान का एकीकरण	50
	राजस्थान की कला संस्कृति	
1.	भाषा एवं साहित्य व बोलियाँ	52
2.	वेशभूषा एवं आभूषण	55
3.	वाद्ययंत्र	57
4.	लोक देवता एंव लोक देवियाँ	64
5.	मेले और त्यौहार	71
6.	लोक कलाएं	82
7.	वास्तुकला	91
8.	लोकसंगीत (लोकगीत)	103
9.	लोक नृत्य एवं लोक नाट्य	107
10.	पर्यटन स्थल एवं परिपथ	117
11.	राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व	119

	राजस्थान की राज्यव्यवस्था	
1.	राज्यपाल	122
2.	मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद्	127
3.	राजस्थान विधानसभा	134
4.	उच्च न्यायालय	141
5.	राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव	145
6.	जिला प्रशासन	149
7.	पंचायती राज	152
8.	सूचना का अधिकार अधिनियम एवं राज्य सूचना आयोग	160
	राजस्थान का भूगोल	
1.	सामान्य परिचय	162
2.	प्रमुख भू - आकृतिक प्रदेश एवं ऊनकी विशेषताएं	173
3.	जलवायु की विशेषताएं	181
4.	राजस्थान की नदियाँ एवं झीलें	187
5.	प्राकृतिक वनस्पति	202
6.	मृदा संसाधन	209
7.	प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं एवं जल संरक्षण तकनीकें	210
8.	जनसंख्या वृद्धि-घनत्व साक्षरता, लिंगानुपात एवं प्रमुखजनजातियाँ	216

9.	परिवहन	219
	<u>भारत का संविधान</u>	
1.	ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	223
2.	संविधान सभा	225
3.	संविधान की विशेषताएं	227
4.	भारतीय संविधान के स्त्रोत	230
5.	भारतीय संविधान के भाग	231
6.	संघ एवं राज्य क्षेत्र	232
7.	भारतीय नागरिकता	232
8.	मौलिक अधिकार	233
9.	नीति निदेशक तत्व	236
10.	राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति	237
11.	प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्	241
12.	भारतीय संसद (विधायिका) (art. 79-123)	246
13.	सर्वोच्च न्यायालय	251

राजस्थान का इतिहास

अध्याय – 1

प्रागैतिहासिक सभ्यताएं

1. बागौर (भीलवाड़ा)

- भीलवाड़ा जिले की माण्डल तहसील में कोठारी नदी के तट पर स्थित इस पुरातात्विक स्थल का उत्खनन 1967-68 से 1969-70 की अवधि में राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग एवं दक्कन कॉलेज, पुणे के तत्त्वावधान में श्री वी.एन. मिश्र एवं डॉ. एल.एस. लेशनि के नेतृत्व में हुआ है ।
- यहाँ से मध्य पाषाणकालीन (Mesolithic) लघु पाषाण उपकरण व वस्तुएँ (Microliths) प्राप्त हुई हैं।
- बागौर के उत्खनन में प्राप्त प्रस्तर उपकरण काल विभाजन के क्रम से तीन चरणों में विभाजित किये गये हैं। प्रथम चरण 3000 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 2000 वर्ष ईसा पूर्व तक, द्वितीय चरण 2000 वर्ष ईसा पूर्व से 500 वर्ष ईसा पूर्व का एवं तृतीय चरण 500 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर प्रथम ईस्वी सदी तक की मानव सभ्यता की कहानी कहता है ।
- इन पाषाण उपकरणों को **स्फटिक** (Quartz) एवं चर्ट पत्थरों से बनाया जाता था। इनमें मुख्यतः पृथुक (Flake), फलक (Blade) एवं अपखण्ड (Chip) बनाये जाते थे। ये उपकरण आकार में बहुत छोटे (लघु अश्म उपकरण- Microliths) थे।
- बागौर में उत्खनन में पाषाण उपकरणों के साथ-साथ एक मानव कंकाल भी प्राप्त हुआ है।
- यहाँ पाये गये लघु पाषणा उपकरणों में ब्लेड, छिद्रक, स्क्रेपर, बेधक एवं चांद्रिक आदि प्रमुख हैं।
- ये पाषाण उपकरण चर्ट, जैस्पर, चाल्डेसनी, एगेट, क्वार्टजाइट, फ्लिंट जैसे कीमती पत्थरों से बनाये जाते थे। ये आकार में बहुत छोटे आधे से पौने इंच के औजार थे ये छोटे उपकरण संभवतः किसी लकड़ी या हड्डी के बड़े टुकड़ों पर आगे लगा दिये जाते थे।
- इन्हें मछली पकड़ने, जंगली जानवरों का शिकार करने, छीलने, छेद करने आदि कार्यों में प्रयुक्त किया जाता था। इन उपकरणों से यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय आखेट करना एवं कंद-मूल फल एकत्रित करने की स्थिति पर प्रकाश पड़ता है।
- यहाँ के प्रारंभिक स्तरों पर घर या फर्श के अवशेष नहीं मिलना साबित करता है कि यहाँ का मानव घुमक्कड़ जीवन जीता होगा।
- बागौर में द्वितीय चरण के उत्खनन में केवल 5 ताम्र उपकरण मिले हैं, जिसमें एक सूई (10.5 सेमी लम्बी), एक कुन्ताग्र (Spearhead), एक त्रिभुजाकार शस्त्र, जिसमें दो छेद हैं, प्रमुख हैं ।
- इस चरण के उत्खनन में मकानों के अवशेष भी मिले हैं जिससे पुष्टि होती है कि इस समय मनुष्य ने एक स्थान पर स्थायी जीवन जीना प्रारम्भ कर दिया था।
- इस काल की प्राप्त हड्डियों में गाय, बैल, मृग, चीतल, बारहसिंघा, सूअर, गीदड़, कछुआ आदि के अवशेष मिले हैं।
- कुछ जली हुई हड्डियाँ व मांस के भुने जाने के प्रमाण मिलने से अनुमान है कि इस काल का मानव मांसाहारी भी था तथा कृषि करना सीख चुका था।
- **बागौर उत्खनन** में कुल **5 कंकाल** प्राप्त हुए हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि शव को दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम में लिटाया जाता था तथा उसकी टांगे मोड़ दी जाती थी।
- सभ्यता के तृतीय चरण में शव को उत्तर-दक्षिण में लिटाने एवं टांगे सीधी रखने के प्रमाण मिले हैं।
- शव को मोती के हार, ताँबे की लटकन, मृद्भाण्ड, मांस आदि सहित दफनाया जाता था। खाद्य पदार्थ व पानी हाथ के पास रखे जाते थे तथा अन्य वस्तुएँ आगे-पीछे रखी जाती थी।
- तृतीय चरण के एक कंकाल पर ईंटों की दीवार भी मिली है, जो समाधि बनाने की द्योतक है। मिट्टी के बर्तन यहाँ के द्वितीय चरण एवं तृतीय चरण के उत्खनन में मिले हैं।
- द्वितीय चरण के मृद्भाण्ड मटमैले रंग के, कुछ मोटे व जल्दी टूटने वाले थे। इनमें शरावतनें, तश्तरियाँ, कटोरे, लोटे, थालियाँ, तंग मुँह के घड़े व बोतलें आदि मिली हैं। (ये मृद्भाण्ड रेखा वाले तो थे परन्तु इन पर अलंकरणों का अभाव था।
- ऊपर से लाल रंग लगा हुआ है। ये सभी हाथ से बने हुए हैं) (तृतीय चरण के मृद्भाण्ड पतले एवं टिकाऊ हैं तथा चाक से बने हुए हैं। इन पर रेखाओं के अवशेष मिले हैं, परन्तु अलंकरण बहुत कम मिले हैं।
- (**आभूषण**: बागौर सभ्यता में मोतियों के आभूषण तीनों स्तरों के उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। हार तथा कान की लटकनों में मोती बहुतायत से प्रयुक्त किये जाते थे।
- **मकान : बागौर में मकानों के अवशेष द्वितीय एवं तृतीय चरण** में प्राप्त हुए हैं। मकान पत्थर के बने हैं। फर्श में भी पत्थरों को समतल कर जमाया जाता था।
- बागौर में मध्यपाषाणकालीन पुरावशेषों के अलावा लौह युग के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता के प्रारंभिक निवासी आखेट कर अपना जीवन यापन करते थे। परवर्ती काल में वे पशुपालन करना सीख गये थे। बाद में उन्होंने कृषि कार्य भी सीख लिया था।

2. कालीबंगा की सभ्यता –

कालीबंगा की सभ्यता एक नदी के किनारे बसी हुई थी । नदी का नाम है – **सरस्वती नदी** । इसे
द्रेषनदी, मृतनदी, नटनदी के नाम से भी जानते हैं।
यह सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में विकसित हुई थी हनुमानगढ़ जिले में एक अन्य सभ्यता जिसे **पीलीबंगा** की सभ्यता कहते हैं विकसित हुई।

➢ **इस सभ्यता की खोज –**

- इस सभ्यता के खोजकर्ता **अमलानंद घोष** है। इन्होंने 1952 में सबसे पहले इस सभ्यता की खोज की थी।

- इनके बाद में इस सभ्यता की खोज दो अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी की गई थी जो 1961 से 1969 तक चली थी।
- बृजवासीलाल (बी.बी. लाल) और बीके (बालकृष्ण) थापर इन्हीं दोनों ने इस सभ्यता की विस्तृत रूप से खोज की थी
- इस सभ्यता का कालक्रम **कार्बन डेटिंग पद्धति** के अनुसार 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है।
- कालीबंगा शब्द "सिंधीभाषा" का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है – **"काले रंग की चूड़िया"**। इस स्थल से काले रंग की चूड़ियों के बहुत सारी ढेर प्राप्त हुए इसलिए इस सभ्यता को कालीबंगा सभ्यता नाम दिया गया।
- कालीबंगा की सभ्यता भारत की ऐसी पहली सभ्यता स्थल है जो **स्वतंत्रता के बाद खोजी** गई थी। यह एक **कांस्य युगीन सभ्यता** है।
- हनुमानगढ़ जिले से इस सभ्यता से संबंधित जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई है उनको सुरक्षित रखने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा **1985-86 में कालीबंगा संग्रहालय** की स्थापना की गई थी । यह संग्रहालय **हनुमानगढ़** जिले में स्थित है।

➢ **इस सभ्यता की विशेषताएँ –**

- इस सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को **समकोण** पर काटती थी । इसलिए यहाँ पर मकान बनाने की पद्धति को **"ऑक्सफोर्ड पद्धति"** कहते है। इसी पद्धति को **'जाल पद्धति, ग्रीक, चेम्सफोर्ड पद्धति'** के नाम से भी जानते हैं।
- मकान कच्ची एवं पक्की ईंट के बने हुए थे, आरम्भ में ये कच्ची ईंटें थीं इसलिए इस सभ्यता को दीन हीन सभ्यता भी कहते है । इन ईंटों का आकार 30×15×7.5 है ।
- इन मकानों की खिड़की एवं दरवाजे पीछे की ओर होते थे।
- यहाँ पर जो नालियां बनी हुई थी वह लकड़ी (काष्ठ) की बनी होती थी। आगे चलकर इन्हीं नालियों का निर्माण पक्की ईंटों से होता था ।
  (विश्व में एकमात्र ऐसा स्थान जहां लकड़ियों की बनी नालियाँ मिली है वह कालीबंगा स्थल है) **(परीक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण)**
- विश्व की प्राचीनतम **जुते हुए खेत** के प्रमाण इसी सभ्यता से मिले हैं।
- यहाँ पर मिले हुए मकानों के अंदर की दीवारों में दरारें मिलती हैं इसलिए माना जाता है कि विश्व में प्राचीनतम भूकंप के प्रमाण यहीं से प्राप्त होते हैं।
- यहाँ के लोग एक साथ में **दो फसलें** करते थे अर्थात् फसलों के होने के प्रमाण भी यहीं से मिलते हैं **जौं और गेहूं।**
- यहाँ पर उत्खनन के दौरान **यज्ञकुंड / अग्नि वेदिकाएं** प्राप्त हुए हैं यहाँ के लोग **बलिप्रथा** में भी विश्वास रखते थे।
- इस सभ्यता का पालतू जीव **कुत्ता** था। इस सभ्यता के लोग **ऊँट** से भी परिचित थे इसके अलावा **गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा से** भी परिचित थे ।
- विश्व में प्राचीनतम् नगर के प्रमाण यहीं पर मिले हैं इसलिए इसे **नगरीय सभ्यता** भी कहते हैं यहाँ पर मूर्तिपूजा, देवी / देवता के पूजन, चित्रांकन या मूर्ति का कोई प्रमाण नहीं मिला है।
- यहाँ पर समाधि प्रथा का प्रचलन था । यहाँ पर **समाधि तीन प्रकार** की मिलती है अर्थात् तीन प्रकार से मृतक का अंतिम संस्कार किया जाता था
- अंडाकार गड्डा खोदकर व्यक्ति को दफनाना । इस गड्डे में व्यक्ति का सिर उत्तर की ओर पैर दक्षिण की ओर होते थे।
- अंडाकार गड्डा खोदकर व्यक्ति को तोड़ मरोड़ कर इकट्ठा करके दफनाना ।
- एक गड्डा खोदकर व्यक्ति के साथ आभूषण को दफनाना ।
- **स्वास्तिक चिह्न** का प्रमाण इसी कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होता है इस स्वास्तिक चिह्न का प्रयोग यहाँ के लोग वास्तुदोष को दूर करने के लिए करते थे ।
- कालीबंगा की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता की **समानता** के प्रमाण **बेलनाकार बर्तन** में मिलते हैं।
- यहाँ पर एक **कपाल** मिला है **जिसमें छः प्रकार के छेद** थे। जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग **शल्य चिकित्सा** से परिचित थे अर्थात् शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम प्रमाण इसी सभ्यता से मिले हैं ।
- यहाँ पर एक सिक्का प्राप्त हुआ है जिसके एक और स्त्री का चित्र है तथा दूसरी ओर **चीता** का चित्र बना हुआ है अर्थात् अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर परिवार की **मातृसत्तात्मक प्रणाली** का प्रचलन था।
- कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की **तीसरी राजधानी** कहा जाता है।
- कालीबंगा सभ्यता में पुरोहित का प्रमुख स्थान होता था।
- इस सभ्यता के लोग मध्य एशिया से व्यापार करते थे, इसका प्रमाण **सामूहिक तंदूर** से मिलता है क्योंकि तंदूर मध्य-एशिया से संबंधित है।
- इस सभ्यता के भवनों का **फर्श सजावट** एवं अलंकृत के रूप में मिलता है।
- राज्य सरकार द्वारा कालीबंगा में प्राप्त पुरावशेषों के संरक्षण हेतु वहाँ एक संग्रहालय की स्थापना कर दी गई है।
- पाकिस्तान में 'कोटदीजी' स्थान पर प्राप्त पुरातात्विक अवशेष कालीबंगा के अवशेषों से काफी मिलते – जुलते हैं। **(परीक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है ।)**
- सिन्धु-सरस्वती सभ्यता का विनाशः संभवत् भूकम्प या भूगर्भीय व जलवायु के परिवर्तन के कारण इस समृद्ध नगरीय सभ्यता के केन्द्र का नाश हो गया था। जो समुद्री हवाएँ पहले इस ओर नमी-युक्त बहती थीं, वे हवाएँ कच्छ के रण से गुजर कर सूखी चलने लगी ।
- संभवतया इसीलिए यह क्षेत्र धीरे-धीरे रेत का समुन्द्र बन गया।
- इस क्षेत्र में बहने वाली सरस्वती नदी का जो वर्णन हमें पुराणों में मिलता है, वह धीरे-धीरे रेत के समुन्द्र में लुप्त हो गई। भूकम्प के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं मिलते हैं।

- गिलूण्ड के मृदभाण्डों पर **ज्यामितीय चित्रांकन** के अलावा **प्राकृतिक चित्रांकन** भी किया गया है।
- गिलूण्ड में उच्च स्तरीय जमाव में क्रीम रंग एवं काले रंग से चित्रित पात्रों पर चिकतेदार हिरण प्रकाश में आए हैं।
- गिलूण्ड में लाल एवं काले रंग के **मृदभाण्ड** मिले हैं।

7. रंगमहल (हनुमानगढ़) :

- रंगमहल हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती (वर्तमान में घग्घर) नदी के पास स्थित है ।
- यह **एक ताम्र युगीन सभ्यता** है ।
- यहाँ पर उत्खनन कार्य **डॉ. हन्नारिड** के निर्देशन में **स्वीडिश दल द्वारा 1952-54 ई.** में किया गया ।
- ये मृदभाण्ड चाक से बने होते थे तथा ये पतले तथा चिकने होते थे ।
- यहाँ से कुषाण कालीन तथा उससे पहले की **105 ताँबे की मुद्राएँ** प्राप्त हुई है जिनमें कुछ **पंचमार्क मुद्राएँ** भी हैं ।
- यहाँ से **ब्राह्मी लिपि** में नाम अंकित **दो कांसे** की सीलें भी प्राप्त हुई है ।
- यहाँ से उत्खनन में **डॉ. हन्नारिड** को प्राप्त मिट्टी का **कटोरा स्वीडन के लूण्ड** संग्रहालय में सुरक्षित है।
- यहाँ के निवासी मुख्य रूप से **चावल की खेती** करते थे।
- यहाँ के मकानों का निर्माण **ईंटों से** होता था ।
- यहाँ से प्राप्त **मृदभाण्ड मुख्यत : लाल या गुलाबी रंग** के थे ।
- यहाँ से गांधार शैली की मृण मूर्तियाँ, टोंटीदार घड़े, घण्टाकार मृदपात्र एवं **कनिष्क कालीन मुद्राएँ** प्राप्त हुई हैं ।
- रंग महल से ही गुरु-शिष्य की मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है।
- इसे **कुषाण कालीन सभ्यता** के समान माना जाता है । **(परीक्षा के दृष्टि से महत्त्वपूर्ण)**
- रंगमहल में बसने वाली बस्तियों के तीन बार बसने एवं उजड़ने के प्रमाण मिले हैं ।

अध्याय – 2

ऐतिहासिक केंद्र

➢ **महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र**

संस्थान का नाम	स्थापना वर्ष
राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल (जयपुर)	1 जनवरी, 1974
राजस्थान मदरसा बोर्ड (जयपुर)	जनवरी, 2003
राजस्थान संस्कृत अकादमी (जयपुर)	1980
जवाहर कला केन्द्र (जयपुर)	8 अप्रैल , 1993
राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद् (जयपुर)	3 नवम्बर, 1997
राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल (जयपुर)	21 मार्च, 2005
बालिका शिक्षा फाउण्डेशन (जयपुर)	30 मार्च, 1995
जयपुर कथक केंद्र (जयपुर)	1978-79
राजस्थान ललित कला अकादमी (जयपुर)	24 नवम्बर, 1957
राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी (जयपुर)	15 जुलाई, 1969
राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी (जयपुर)	19 जनवरी, 1986
राजस्थान संगीत संस्थान (जयपुर)	1950
गुरु नानक संस्थान (जयपुर)	1969
राजस्थान उर्दू अकादमी (जयपुर)	1979
राजस्थान सिंधी अकादमी (जयपुर)	1979
रामचरण प्राच्य विद्यापीठ एवं संग्रहालय (जयपुर)	1960
राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी (जयपुर)	2006
राज्य सहकारी संघ (जयपुर)	1957
पंडित झाबरमल्ल शोध संस्थान (जयपुर)	2000
राजस्थान संगीत नाटक अकादमी (जोधपुर)	1957
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय (जोधपुर)	17 अगस्त, 1956
पश्चिमी क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र (उदयपुर)	1986
भारतीय लोक कला मण्डल (उदयपुर)	1952

राजस्थान के प्रमुख शोध संस्थान –

संस्थान का नाम	मुख्यालय
राजकीय संग्रहालय	झालावाड़
श्री सरस्वती पुस्तकालय	फतेहपुर (सीकर)
पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय	जोधपुर
पोथीखाना (महत्त्वपूर्ण)	जयपुर
सरस्वती भण्डार	उदयपुर
रूपायन संस्थान	जोधपुर
बिड़ला तकनीकी म्यूजियम	पिलानी (झुंझुनू)
राजस्थानी शोध संस्थान	चौपासनी(जोधपुर)
राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी	जयपुर
राजस्थानी साहित्य अकादमी	उदयपुर
राजस्थान संस्कृत अकादमी	जयपुर
राजस्थान उर्दू अकादमी	जयपुर
राजस्थान सिंधी अकादमी	जयपुर
राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी	जयपुर
पंडित झाबरमल शोध संस्थान	जयपुर
राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी	बीकानेर
सरदार म्यूजियम	जोधपुर

अध्याय – 3

प्रमुख राजवंश

गुर्जर प्रतिहार वंश

- गुर्जर प्रतिहारों का प्रभाव केन्द्र मारवाड़ था। गुर्जरात्रा प्रदेश में रहने के कारण प्रतिहार **गुर्जर प्रतिहार** कहलाए।
- गुर्जरात्रा प्रदेश की राजधानी **"भीनमाल (जालौर)"** थी। बाणभट्ट ने अपनी पुस्तक ' हर्षचरित ' में गुर्जरों का वर्णन किया है।
- इस वंश की प्राचीनता बादामी के चालुक्य नरेश पुल्केशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में 'गुर्जर जाति' के **सर्वप्रथम** उल्लेख से मिलती है।
- डॉ. आर. सी. मजूमदार के अनुसार-प्रतिहार शब्द का प्रयोग मण्डौर की प्रतिहार जाति के लिए हुआ है क्योंकि प्रतिहार अपने आप को लक्ष्मण जी का वंशज मानते थे।
- चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा वृतांत (ग्रंथ) सियूकी में **कु-ची-लो (गुर्जर)** देश का उल्लेख करता है।
- जिसकी राजधानी **पि-लो-मो-लो** (भीनमाल) में थी। अरबी यात्रियों ने गुर्जरों को **'जुर्ज'** भी कहा है।
- **अल मसूदी प्रतिहारों** को अल गुर्जर तथा प्रतिहार राजा को **'बोरा'** कहकर पुकारता है। भगवान लाल इन्दजी ने गुर्जरों को 'गुजर' माना है, जो गुजरात में रहने के कारण गुर्जर कहलाए।
- प्रतिहार राजवंश महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली का संरक्षक था। **कनिंघम** ने गुर्जर प्रतिहारों को कुषाणवंशी कहा है।
- भोज द्वितीय प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई। **मुहणोत नैणसी** (मारवाड़ रा परगना री विगत) के अनुसार-गुर्जर प्रतिहारों की कुल 26 शाखाएं थी इनमें से दो प्रमुख थी - मण्डौर व भीनमाल।
- गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी चामुंडा माता थी।

❖ भीनमाल शाखा (जालौर)

गुर्जर प्रतिहार वंश – प्रतिहार शब्द वास्तव में पदनाम है जिसका अर्थ द्वारपाल है। अभिलेखिक रूप से गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में हुआ है।

- उत्तर-पश्चिम भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन छठी से बारहवीं शताब्दी तक रहा।
- इतिहासकार रमेशचन्द्र मजूमदार ने गुर्जर प्रतिहार को छठी से बारहवीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम करने वाला बताया है।
- गुर्जरात्रा (गुर्जर प्रदेश) के स्वामी होने के कारण प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार कहा गया है।
- नीलगुण्ड, राधनपुर, देवली तथा करहाड़ के अभिलेखों में इन्हें गुर्जर कहा गया।
- मिहिरभोज के ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट को रामका प्रतिहार तथा विशुद्ध क्षत्रिय कहा गया है।

❖ रणथम्भौर के चौहान

रणथम्भौर और दिल्ली सल्तनत

- हम्मीर चौहान (1282-1301 ई.) अपने पिता जैत्रसिंह का तीसरा पुत्र था। सभी पुत्रों में योग्य होने के कारण उसका राज्यारोहण उत्सव जैत्रसिंह ने अपने जीवनकाल में ही 1282 ई. में सम्पन्न करवा दिया था।
- वह रणथम्भौर के चौहान शासकों में अंतिम परंतु सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण शासक था और उसके शासनकाल की जानकारी अनेकानेक ऐतिहासिक साधनों से प्राप्त होती है। मुस्लिम इतिहासकारों, अमीर खुसरो तथा जियाउद्दीन बरनी की रचनाओं के अलावा न्यायचंद्र सूरी के हम्मीर महाकाव्य, चंद्रशेखर के सुर्जन चरित्र और बाद में लिखे गये हिन्दी ग्रन्थों - जोधराजकृत हम्मीर रासो तथा चंद्रशेखर के हम्मीर हठ में हमें हम्मीर की शूरवीरता तथा विजयों का विस्तृत विवरण मिलता है।
- दिग्विजय के बाद हम्मीर ने कोटि यज्ञों का आयोजन किया जिससे उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई।
- मेवाड़ के शासक समरसिंह को पराजित कर हम्मीर ने अपनी धाक सम्पूर्ण राजस्थान में जमा दी।

➢ **हम्मीर और जलालुद्दीन खिलजी-**

- हम्मीर को अपनी शक्ति बढ़ाने का मौका इसलिए मिल गया कि इस दौरान दिल्ली में कमजोर सुल्तानों के कारण अव्यवस्था का दौर चल रहा था।
- 1290 ई. में दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने हम्मीर की बढ़ती हुई शक्ति को समाप्त करने का निर्णय लिया। सुल्तान ने झाँई पर अधिकार कर रणथम्भौर को घेर लिया किन्तु सभी प्रयत्नों की असफलता के बाद शाही सेना को दिल्ली लौट जाना पड़ा।
- सुल्तान ने 1292 ई. में एक बार फिर रणथम्भौर विजय का प्रयास किया। हम्मीर के सफल प्रतिरोध के कारण इस बार भी उसे निराशा ही हाथ लगी।
- जलालुद्दीन ने यह कहते हुए दुर्ग का घेरा हटा लिया कि "मैं ऐसे सैंकड़ों किलों को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्त्व नहीं देता।"
- जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के इन अभियानों का आँखों देखा वर्णन **अमीर खुसरो ने 'मिफ्ता-उल-फुतूह'** नामक ग्रंथ में किया है।
- 1296 ई. में अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दिल्ली का सुल्तान बन गया।

अलाउद्दीन खिलजी ने रणथम्भौर पर आक्रमण करने प्रारम्भ कर दिये जिनके निम्नलिखित कारण थे –

1. रणथम्भौर सामरिक दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण था। अलाउद्दीन खिलजी इस अभेद दुर्ग पर अधिकार कर राजपूत नरेशों पर अपनी धाक जमाना चाहता था।
2. रणथम्भौर दिल्ली के काफी निकट था। इस कारण यहाँ के चौहानों की बढ़ती हुई शक्ति को अलाउद्दीन खिलजी किसी भी स्थिति में सहन नहीं कर सकता था।
3. अलाउद्दीन खिलजी से पहले उसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार करने के लिए दो बार प्रयास किए थे किन्तु वह असफल रहा। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा की पराजय का बदला लेना चाहता था।
4. अलाउद्दीन खिलजी एक महत्त्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी शासक था। रणथम्भौर पर आक्रमण इसी नीति का परिणाम था।

हम्मीर द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोहियों को शरण देना –

- नयनचन्द्र सूरी की रचना 'हम्मीर महाकाव्य' के अनुसार रणथम्भौर पर आक्रमण का कारण यहाँ के शासक हम्मीर द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति मीर मुहम्मद शाह को शरण देना था।
- मुस्लिम इतिहासकार इसामी ने भी अपने विवरण में इसी कारण की पुष्टि की है। उन्होंने लिखा है कि 1299 ई. में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दो सेनापतियों उलूग खां व नूसरत खां को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजा था।
- गुजरात विजय के बाद जब यह सेना वापिस लौट रही थी तो जालौर के पास लूट के माल के बंटवारे के प्रश्न पर 'नव-मुसलमानों' (जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय भारत में बस चुके वे मंगोल, जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था) ने विद्रोह कर दिया। यद्यपि विद्रोहियों का बर्बरता के साथ दमन कर दिया गया किन्तु उनमें से मुहम्मदशाह व उसका भाई केहब्रु भाग कर रणथम्भौर के शासक हम्मीर के पास पहुँचने में सफल हो गया।
- हम्मीर ने न केवल उन्हें शरण दी अपितु मुहम्मदशाह को 'जगाना' की जागीर भी दी। चन्द्रशेखर की रचना 'हम्मीर हठ' के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की एक मराठा बेगम से मीर मुहम्मदशाह को प्रेम हो गया था और उन दोनों ने मिलकर अलाउद्दीन खिलजी को समाप्त करने का एक षड़यंत्र रचा।

अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर आक्रमण

- अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से इन विद्रोहियों को सौंप देने की माँग की गई। इस माँग को जब हम्मीर द्वारा ठुकरा दिया गया तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने रणथम्भौर पर आक्रमण कर दिया।
- 1299 ई. के अंत में अलाउद्दीन खिलजी ने उलूग खां, अलप खां और नुसरत खां के नेतृत्व में एक सेना रणथम्भौर पर अधिकार करने के लिए भेजी। इस सेना ने 'रणथम्भौर की कुँजी' झाँई पर अधिकार कर लिया। इसामी के अनुसार विजय के बाद उलूग खां ने झाँई का नाम बदलकर 'नौ शहर' कर दिया।
- 'हम्मीर महाकाव्य' में लिखा है कि हम्मीर इस समय कोटियज्ञ समाप्त कर 'मुनिव्रत' में व्यस्त था। इस कारण स्वयं न जाकर अपने दो सेनापतियों – भीमसिंह व धर्मसिंह को सामना करने के लिए भेजा। इन दोनों सेनापतियों ने

अध्याय – 2

वेशभूषा एवं आभूषण

❖ राजस्थान में पुरुष वस्त्र (वेशभूषा)

➢ **पगड़ी**

- इसको पाग, पेचा, फालियो, साफा, घुमालो, फेटो, सेलो, अमलो, लपेटो, बागा, शिरोत्राण, फेंटा आदि नामो से भी जाना जाता है।
- यह सिर पर लपेटे जाना वाला लगभग 5.5 मीटर लम्बी एवं 40 सेमी. चौंड़ी होती है।
- उदयपुर की पगड़ी तथा जोधपुर का साफा प्रसिद्ध है।
- युद्ध भूमि में केसरिया पगड़ी, दशहरे पर काले रंग की मंदील पगड़ी, होली पर फूल-पत्तियों वाली पगड़ी, विवाह पर पंचरंगी पगड़ी, श्रावण में लहरिया पगड़ी पहनी जाती है।
- रक्षाबंधन के अवसर पर बहिन भाई को मोठड़ा साफा देती है।
- मीणा एवं गुर्जर जाति की पगड़ी को फेटा कहते है।
- पगड़ी - उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाहजहांनी पगड़ी के प्रकार है, तो मेवाड महाराणा के पगड़ी बाँधने वाला व्यक्ति छाबदार कहलाता है।

➢ **धोती**

- पुरुष द्वारा कमर से घुटने तक पहना जाने वाला वस्त्र है।
- आदिवासियों/भीलों द्वारा पहनी जाने वाली धोती ढेपाड़ा / डेपाड़ा कहलाती है।
- सहरिया जनजाति के लोग धोती को पंछा कहते है।

➢ **अंगरखी / बुगतरी**

- पूरी बाहों का बिना कॉलर एवं बटन वाला कुर्ता जिसे बांधने के लिए कसें (डसें) होती है।
- यह प्रायः सफेद रंग का होता है जिस पर कढ़ाई की होती हैं।

➢ **पोतिया**

- भील पुरुषों द्वारा पगड़ी के स्थान पर बांधा जाने वाला वस्त्र पोतिया कहलाता है।

➢ **शेरवानी**

- शादियों में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र जो घुटने से लम्बा एवं कोटनुमा होता है।

➢ **पायजामा**

- अंगरखी, चुगा और जामें के नीचे कमर व पैरें में पहना जाने वाला वस्त्र पायजामा कहलाता है।

➢ **चोगा**

- इसे चोगा भी कहते है। यह अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र होता है।
- ऊनी चोगा अमृतसर का प्रसिद्ध है।

➢ **आतमसुख**

- तेज सर्दी से बचने के लिए शरीर पर ऊपर से नीचे तक पहने जाने वाला वस्त्र।

➢ **बिरजस (ब्रिजेस)**

- यह पायजामे के स्थान पर पहना जाने वाला चूड़ीदार वस्त्र होता है।

➢ **कमरबंध**

- इसे पटका भी कहते है।
- यह जामा के ऊपर कमर पर बाँधा जाने वाला वस्त्र होता है, जिसे तलवार या कटार को फंसाया जाता है ।

➢ **पछेवड़ा**

- तेज सर्दी में ठण्ड से बचाव के लिए पुरुषों द्वारा कम्बल की तरह ओढ़े जाने वाला मोटा सूती वस्त्र पछेवड़ा कहलाता है।

➢ **अंगोछा**

- धूप से बचने के लिए पुरुषों द्वारा सिर पर बाँधा जाने वाला वस्त्र अंगोछा कहलाता है।
- केरी भाँत का अंगोछा लोकप्रिय है।

- **राजस्थान में पुरुषों के आभूषण**
  - ➢ **सिर**
    - कलंगी, सिरपेच, सेहरा, मुकुट।
  - ➢ **कान**
    - मुरकी, ओगनिया, झेला, लूंग।
  - ➢ **गला**
    - कंठा, चैकी, फूल।
  - ➢ **हाथ**
    - कड़ा, मूरत, ठाला, ताती, माठीं

❖ राजस्थान में महिलाओं (स्त्रियों) के वस्त्र / वेशभूषा :-

➢ **कुर्ती और कांचली**

- स्त्रियों द्वारा शरीर के ऊपरी हिस्से (कमर के ऊपर) पहनी जाती है।
- कांचली के ऊपर कुर्ती पहनी जाती है, जिसमें कांचली के बांहें होती है जबकि कुर्ती के बांहें नहीं होती है।

➢ **घाघरा**

- इसे लहंगा, पेटीकोट, घाबला आदि नामो से भी जाना जाता है।
- यह कमर से नीचे एड़ी तक पहना जाने वाला घेरदार वस्त्र होता है, जो कलियों को जोड़कर बनाया जाता है।
- आदिवासियों के घाघरे को कछाबू कहते है।
- आदिवासियों के नीले रंग के घाघरे को नांदना कहते है।
- रेशमी घाघरा जयपुर का प्रसिद्ध है।

➢ **ओढ़नी (लुंगड़ी)**

- महिलाओं द्वारा यह सिर पर ओढ़ी जाती है।
- लहरिया, पोमचा, धनक, चुंदरी, मोठड़ा आदि लोकप्रिय ओढ़नियां है।
- डूंगरशाही ओढ़नी जोधपुर की प्रसिद्ध है।
- ताराभांत की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाती है।
- ओढ़नी 2.10 से 2.50m लम्बी तथा 1.25 – 1.35m चौड़ी होती है।

- कल्लाजी की 'रनेला' (चित्तौड़) में सिद्ध पीठ है।
- कल्लाजी के गुरु भैरवनाथ थे।
- चित्तौड़गढ़ किले के भैरवपोल के पास कल्लाजी की छतरी बनी हुई है।
- डूंगरपुर जिले के सामलिया क्षेत्र में कल्लाजी की काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति पर प्रतिदिन केसर तथा अफीम चढ़ाई जाती है।
- कल्लाजी शेषनाग के अवतार के रूप में पूजनीय है।
- कल्लाजी के थान पर भूत-पिशाच ग्रस्त लोगों व रोगी पशुओं का इलाज होता है।

अध्याय – 5

मेले और त्यौहार

❖ राजस्थान के प्रमुख मेले

➢ **अजमेर के मेले**

- **पुष्कर मेला** - यह मेला पुष्कर (अजमेर) में कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक भरता है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा सांस्कृतिक मेला/ सबसे बड़ा रंगीन/रंग बिरंगा / सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों का आगमन वाला मेला है। ख्वाजा साहब का उर्स - यह उर्स अजमेर में रज्जब माह की 1 से 6 तारीख तक भरता है। अढ़ाई दिन के झोपड़े में।
- **कल्पवृक्ष मेला** - यह मेला मांगलियावास (अजमेर) में श्रावण मास की हरयाली अमावस्या को भरता है।
- **कार्तिक पशु मेला** - यह पशु मेला पुष्कर (अजमेर) में कार्तिक शुक्ल 8 से मार्गशीर्ष 2 तक भरता है।

खैरथल- तिजारा के मेले

- **चंद्र प्रभु मेला** - यह मेला तिजारा में फाल्गुन शुक्ला सप्तमी व श्रावण शुक्ला दशमी को भरता है।

➢ **अलवर के मेले**

- **नारायणी माता का मेला** - यह मेला बरवा डूंगरी सरिस्का (अलवर) में वैशाख शुक्ल एकादशी को भरता है।
- **हनुमानजी का मेला** - यह मेला पांडुपोल (अलवर) में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी एवं पंचमी को भरता है।
- **भर्तहरि मेला** - यह मेला भर्तहरि (महान योगी भर्तहरि की तपो भूमि) पर अलवर में भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को भरता है। यह कनफटे नाथों की तीर्थस्थली है ।
- **बिलारी माता मेला** - बिलारी माता का यह मेला बिलारी (अलवर) में चैत्र शुक्ला अष्टमी को भरता है।

➢ **बाड़मेर के मेले**

- **रणछोड़राय का मेला** - यह मेला बाड़मेर जिले के खेड़ क्षेत्र में प्रतिवर्ष राधाष्टमी, माघ पूर्णिमा, बैशाख एवं श्रावण मास की पूर्णिमा व कार्तिक पूर्णिमा भादवा सुदी चतुर्दशी को भरता है।

➢ **बालोतरा के मेले**

- **रानी भटियाणी का मेला** - यह मेला बालोतरा जिले के जसोल क्षेत्र में कार्तिक वदी पंचमी को भरता है।
- **हल्देश्वर महादेव शिवरात्रि मेला** - यह मेला बालोतरा जिले के पीपलूद (छप्पन की पहाड़ियों के बीच यह मारवाड़ का लघु माउन्ट आबू है।) में शिवरात्रि के अवसर पर भरता है।
- **मल्लीनाथ पशु मेला** - यह मेला बालोतरा जिले के तिलवाड़ा क्षेत्र में चैत्र कृष्णा एकादशी से चैत्र शुक्ला एकादशी तक भरता है।
- **बजरंग पशु मेला** - यह मेला बालोतरा जिले के सिणधरी क्षेत्र में मंगसर वदी तृतीया को भरता है।
- **नाकोड़ाजी का मेला** - यह मेला बालोतरा जिले के नाकोड़ा तीर्थ मेवानगर में पोष कृष्ण दशमी को भरता है।

- <u>**बीकानेर जिले के मेले**</u>
- **निर्जला ग्यारस मेला** - यह मेला बीकानेर जिले के लक्ष्मीनाथ मंदिर में ज्येष्ठ सुदी एकादशी को भरता है।
- **जम्भेश्वर मेला** - यह मेला बीकानेर जिले के मुकाम-तालवा (नोखा) में वर्ष में दो बार - फाल्गुन व आश्विन अमावस्या को भरता है।
- **नागणेची माता का मेला** - यह मेला बीकानेर जिले में नवरात्रा के अवसर पर भरता है।
- **चनणी चेरी मेला (सेवकों का मेला)** - यह मेला बीकानेर जिले के देशनोक में फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को भरता है।
- **कपिल मुनि का मेला** - यह मेला बीकानेर जिले के श्री कोलायत जी में कार्तिक पूर्णिमा को भरता है।
- **करणी माता का मेला** - यह मेला देशनोक (बीकानेर) में नवरात्रा (कार्तिक एवं चैत्र माह में) में भरता है।

- <u>**बांसवाड़ा जिले के प्रमुख मेले**</u>
- **घोटिया अम्बा मेला** - यह मेला बांसवाड़ा जिले के घोटिया (बारीगामा) नामक स्थान पर चैत्र अमावस्या को (जिले का सबसे बड़ा ग्रामीण मेला) भरता है।
- **कल्लाजी का मेला** - यह मेला बांसवाड़ा जिले के गोपीनाथ का गढ़ा नामक स्थान पर आश्विन सुदी नवरात्रि प्रथम रविवार को भरता है।
- **अंदेश्वर मेला** - यह मेला बांसवाड़ा जिले के अंदेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा को भरता है।
- **गोपेश्वर मेला** - यह मेला बांसवाड़ा जिले के घाटोल के निकट कार्तिक पूर्णिमा को भरता है।
- **मानगढ़ धाम मेला (आदिवासियों का मेला)** - यह मेला बांसवाड़ा के आनंदपुरी के निकट मानगढ़ धाम में मार्गशीर्ष पूर्णिमा को भरता है।

- <u>**चूरू जिले के मेले**</u>
- **भभूता सिद्ध का मेला** - यह मेला चूरू जिले के चंगोई (तारानगर) में भादवा सुदी सप्तमी को भरता है।
- **गोगा जी का मेला** - यह मेला चूरू जिले के ददरेवा गांव में भाद्रपद कृष्णा नवमी (गोगानवमी) को भरता है।
- **सालासर बालाजी का मेला** - यह मेला चूरू जिले के सालासर (सुजानगढ़) में चैत्र व कार्तिक पूर्णिमा को भरता है।

- <u>**बारां जिले के मेले**</u>
- **सीताबाड़ी का मेला (धार्मिक व पशु मेला)** - यह मेला बारां जिले के सीताबाड़ी, केलवाड़ा (सहरिया जनजाति का कुम्भ) नामक स्थान पर ज्येष्ठ अमावस्या (इस मेले में सहरियाओं का स्वयंवर होता है) को भरता है।
- **डोल मेला** - यह मेला बारां जिले के डोल तालाब पर जलझूलनी एकादशी (भाद्रपद शुक्ला एकादशी) को भरता है। इसमें देवविमानों सहित शोभायात्रा निकलती है।
- **ब्रह्माणी माता का मेला** - यह मेला बारां जिले के सोरसन में भरता है। यहां पर गधों का मेला भी लगता है।
- **फूलडोल शोभा यात्रा महोत्सव (श्रीजी का मेला)** - यह मेला बारां जिले के किशनगंज में होली (फाल्गुन मास की पूर्णिमा) के दिन भरता है।
- **कपिल धारा का मेला** - यह मेला सहरिया क्षेत्र (बारां) में कार्तिक पूर्णिमा को भरता है।

- <u>**डीग के मेले**</u>
- **गंगा दशहरा मेला** - यह मेला डीग जिले के कामां क्षेत्र में ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी से द्वारद्शी तक भरता है।
- **बृज महोत्सव** – यह मेला द्वादशी से माघ शुक्ल – डीग जिले में भरता है ।

- <u>**भरतपुर के मेले**</u>
- **बसंती पशु मेला** – यह मेला माघ अमावस्या से शुक्ल पंचमी तक भरता है ।
- **गरुड़ मेला** - यह मेला भरतपुर जिले के बंशी पहाड़पुर में कार्तिक शुक्ल तृतीया को भरता है।
- **भोजन बारी/भोजन थाली परिक्रमा** – भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा को कामा में भरता है ।
- **जसवंत पशु मेला** - यह मेला भरतपुर जिले में अश्विन शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक भरता है।

- <u>**कोटपूतली-बहरोड़ के मेले**</u>
- **बाणगंगा मेला** - यह विराटनगर, कोटपूतली-बहरोड़ में वैशाख पूर्णिमा को भरता है।

- <u>**जयपुर के मेले**</u>
- **गणगौर मेला** - गणगौर मेला जयपुर में चैत्र शुक्ला तीज व चौथ को भरता है।
- **शीतलामाता का मेला** - यह मेला चाकसू, जयपुर में चैत्र कृष्ण अष्टमी को भरता है।
- **गधों का मेला** - आश्विन कृष्ण सप्तमी से आश्विन कृष्ण एकदशी तक लुनियावास (सांगानेर) गांव में भरता है।
- **तीज की सवारी एवं मेला** - यह जयपुर में श्रावण शुक्ला तृतीया को आयोजित होता है।

- <u>**भीलवाड़ा के मेले**</u>
- **सवाई भोज का मेला** - यह मेला भीलवाड़ा जिले के आसींद में सवाई भोज स्थान पर भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को भरता है।
- **तिलस्वां महादेव मेला** - यह मेला भीलवाड़ा जिले के तिलस्वां (मांडलगढ़) में शिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के अवसर पर भरता है।
- **सौंरत (त्रिवेणी) का मेला** - यह मेला भीलवाड़ा जिले के त्रिवेणी संगम सौंरत(मेनाल, मांडलगढ़) में शिवरात्रि के पर्व पर आयोजित होता है।

अध्याय – 6

लोक कलाएं

(हस्त कला / चित्रकला)

➢ **पॉटरी**

- चीनी मिट्टी के बर्तनों पर की जाने वाली आकर्षक चित्रकारी पॉटरी कहलाती है।
- पॉटरी का उद्भव दमिश्क (सीरिया की राजधानी) में माना जाता है जो फारस, अफगानिस्तान होती हुई भारत आयी।

➢ **ब्लू पॉटरी**

- चीनी - मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग से चित्रकारी करना।
- इसके लिए जयपुर प्रसिद्ध है।
- राजस्थान में इसे लाने का श्रेय मानसिंह को है।
- इस कला का सर्वाधिक विकास जयपुर शासक रामसिंह द्वितीय के समय हुआ था।
- इस कला को पुर्नजिवित करने का श्रेय कृपाल सिंह शेखावत को है जिनका जन्म स्थान सीकर जिला हैं।
- कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में पदम् श्री पुरस्कार दिया जा चुका हैं।
- ब्ल्यू पॉटरी की एकमात्र महिला कलाकार नाथी बाई हैं।

➢ **ब्लैक पॉटरी -** ब्लैक पॉटरी कोटा की प्रसिद्ध है।

➢ **कागजी पॉटरी -** कागजी पॉटरी अलवर की प्रसिद्ध हैं।

➢ **मोलेला पॉटरी -** मोलेला पॉटरी राजसमन्द की प्रसिद्ध है |

➢ **बीकानेरी पॉटरी (सुनहरी पॉटरी -** इस पॉटरी में लाख का प्रयोग किया जाता है ।

➢ **मूनव्वती / उस्ता कला**

- इस कला में ऊँट की खाल पर सुनहरी नक्काशी की जाती है।
- यह कला बीकानेर की प्रसिद्ध है।
- हीसामुद्दीन उस्ता कला के प्रमुख चित्रकार हैं , जिन्हें इस कला के लिए वर्ष 1986 में पदमश्री दिया गया था। मुहम्मद हनीफ उस्ता, कादर बक्श इसके कारीगर हैं ।
- उस्ताकला को बढ़ावा देने हेतु बीकानेर में कैमल हाईड ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना 15 अगस्त , 1975 को की गई थी जिसके प्रथम निदेशक हीसामुद्दीन उस्ता को बनाया गया था।
- इलाही बक्श ने ऊँट की खाल पर बीकानेर शासक महाराजा गंगासिह का चित्र बनाया ।

➢ **मथैरणा कला**

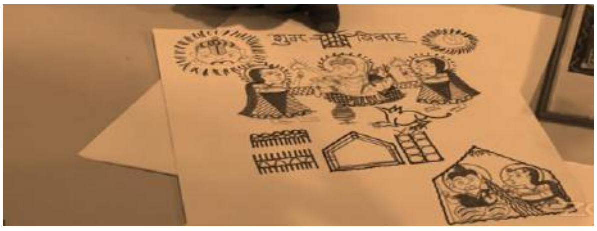

इस कला में कपड़े पर सुनहरी नक्काशी की जाती है। यह कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। इस कला में ईसर , गणगौर, देवी - देवताओं की भीत्ति चित्र बनाये जाते हैं । मुन्नालाल, चन्दूलाल मथैरणा कला के प्रमुख कारीगर थे।

➢ **मीनाकारी**

- विभिन्न रंगों की मूल्यवान रत्नों पर मीनें की सहायता से तथा सोने - चाँदी के आभूषणों पर चित्रकारी या रंग भरने की कला को मीनाकारी कहते हैं।
- मीनाकारी कला का उद्भव पर्शिया (ईरान) में माना जाता है।
- लाल रंग बनाने में जयपुर के कलाकार कुशल हैं।
- मीनाकारी में फूल-पत्ती, मोर आदि का अंकन प्रायः किया जाता है।
- कोटा के रेतवाली क्षेत्र में कांच पर विभिन्न रंगों से मीनाकारी का काम किया जाता है।
- कागज जैसे पतले पत्थर पर मीनाकारी करने के लिए बीकानेर के मीनाकार प्रसिद्ध है।
- इसे चौसरों के समय फारस में लाया गया और फारस से मुगलों द्वारा लाहौर में लायी गई जहाँ पर सिक्खों द्वारा यह कार्य किया जाता हैं।
- लाहौर से महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा आमेर में लाया गया।
- जिसमें मुख्य मीनाकार हरिसिंह, अमरसिंह, किशनसिंह, गोभासिंह, श्यामसिंह थे।

➢ **राज्य में निम्न मीनाकारी प्रसिद्ध है-**

(i)चाँदी पर मीनाकारी- नाथद्वारा, राजसमंद
(ii)पीतल पर मीनाकार जयपुर
(iii)तांबे पर मीनाकारी- भीलवाड़ा
(iv)सोने पर मीनाकारी- प्रतापगढ़

राजस्थान की राज्यव्यवस्था

अध्याय – 1

राज्यपाल

- भारतीय संविधान के भाग-VI में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है । यह प्रावधान पहले जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता था लेकिन अब सभी राज्यों के लिए लागू होता है।
- राज्य में राज्यपाल का उसी प्रकार से स्थान है जिस प्रकार से देश में राष्ट्रपति का (कुछ मामलों को छोड़कर)।
- **अनुच्छेद 153** के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वें संविधान संशोधन-1956 द्वारा इसमें एक अन्य प्रावधान जोड़ दिया गया जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।
- **अनुच्छेद 154** के तहत राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख "राज्यपाल" होता है लेकिन **अनुच्छेद 163** के तहत राज्यपाल अपनी स्व-विवेक शक्तियों के अलावा सभी कार्य मंत्रिपरिषद् की सलाह पर करता है अर्थात राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद् में निहित होती है।
- **अनुच्छेद 155** के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अर्थात् राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति अधिपत्र (वारंट) जारी करते है जिसे मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है।
- **राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान ‘ कनाडा ‘ से लिया गया है।**

संविधान लागू होने से लगाकर वर्तमान तक राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ परंपराएं बन गई जो निम्न है – (i) संबंधित राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रहे। (ii) राज्यपाल की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श ले ताकि समय दानी की व्यवस्था सुनिश्चित हो

राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में गठित प्रमुख आयोग व उनकी सिफारिश

❖ **सरकारिया आयोग**

गठन-1983 रिपोर्ट- 1987 अध्यक्ष- रणजीत सिंह सरकारिया

सिफारिश –

- राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध हो।
- राज्य के बाहर का निवासी होना चाहिए।
- राजनीतिक रूप से तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए।
- सक्रिय राजनीती में भागीदारी नहीं ले रहा हो राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाए।
- 5 वर्ष की निश्चित पदावली हो।
- राज्यपाल को हटाए जाने से पूर्व एक बार चेतावनी देनी चाहिए अथवा पूर्व सूचना दी जानी चाहिए ।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग

वर्ष 2005 में वीरप्पा मोइली (कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री) की अध्यक्षता में गठित। वर्ष 2010 में इसने अपना प्रतिवेदन दिया।

सिफारिश –

- इस आयोग के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में कॉलेजियम व्यवस्था होनी चाहिए। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होगा जबकि उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, गृहमंत्री तथा लोकसभा में विपक्ष का नेता इसके सदस्य होंगे लेकिन सुझाव स्वीकार नहीं किया गया था।

❖ **पूंछी आयोग**

गठन-2007 रिपोर्ट- 2010 अध्यक्ष- मदनमोहन पूंछी

सिफारिश –

- केंद्र राज्य संबंधों की जांच हेतु गठित पूंछी आयोग ने राज्यपाल को हटाने के लिए विधानमंडल में महाभियोग की प्रक्रिया अपनाने का सुझाव दिया।
- राज्यपाल को किसी भी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति नहीं बनाना चाहिए।
- राज्य की विधानसभा में पारीत विधेयक पर राज्यपाल को 6 माह में निर्णय लेना चाहिए ।

राजमन्नार आयोग

गठन-1969 रिपोर्ट- 1971 अध्यक्ष- डॉ. वी.पी. राजमन्नार

NOTE- सरकारिया आयोग, राजमन्नार आयोग व पूंछी आयोग का सम्बन्ध राज्यपाल की नियुक्ति और केंद्र-राज्य संबंधो से है ।

अनुच्छेद 156 इस अनुच्छेद में राज्यपाल की पदावधि/ कार्यकाल का उल्लेख लिया गया है।
अर्थात राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद पर बना रहेगा।

- राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है तथा राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र देता है।
- राष्ट्रपति किसी भी राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है।
- राज्यपाल को दोबारा नियुक्त किया जा सकता है।
- राज्यपाल अपने कार्यकाल के बाद भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी कार्य ग्रहण नहीं कर ले।
- **राज्यपाल को हटाने के आधार का उल्लेख संविधान में नहीं है ।**

<u>अनुच्छेद 157</u> राज्यपाल पद योग्यताएँ/ अर्हताएँ

1. वह भारत का नागरिक हो।(जन्म से आवश्यक नहीं)
2. वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
3. वह राज्य विधानमंडल का सदस्य चुने जाने योग्य हो।

<u>अनुच्छेद 158</u> राज्यपाल पद की सेवा शर्तें व वेतन भत्ते

1. किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो।
2. यदि संसद या विधानामंडल के किसी भी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल का पद धारण करने की तिथि से वह पद रिक्त मान लिया जाएगा।

- राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद (संविधान की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित) करती है।
- राज्यपाल को वेतन राज्य की संचित निधि से जबकि पेंशन भारत की संचित निधि में से दी जाती है।
- राज्यपाल का वेतन ₹350000 है जो कर मुक्त होता है।
- पदावधि के दौरान वेतन भत्तों में कमी नहीं की जा सकती है।
- यदि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल है **(7वें संविधान संशोधन-1956 द्वारा**) तो भी उसे वेतन I पद का होगा परंतु इसका वहन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात में संबंधित राज्यों द्वारा किया जाएगा।

<u>अनुच्छेद 159</u> राज्यपाल पद की शपथ

- राज्यपाल या राज्यपाल पद के कार्यों का निर्वहन करने वाले व्यक्ति को राज्यपाल पद की या राज्यपाल पद के कार्य निर्वहन की शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उपस्थित वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है राज्यपाल संविधान के परिरक्षण, संरक्षण व प्रतिरक्षण तथा राज्य की जनता के कल्याण के शपथ लेता है।

NOTE- राज्यपाल की शपथ का प्रारूप अनुसूची- 3 में नहीं मिलता हैं।

अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन

राज्यपाल पद के संबंध में उत्पन्न आकस्मिक परिस्थितियों में कार्य लरने की शक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाएगी जैसे- राज्यपाल पद के खाली होने पर संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उपस्थित वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल पद का कार्यों का निर्वहन करना।

<u>राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां</u> –

1. <u>कार्यपालिका संबंधी कार्य</u> –

- **अनुच्छेद 166** के तहत राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं अर्थात राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का नाममात्र का प्रमुख होता है।
- **अनुच्छेद 164** के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा उसकी सलाह से उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उन्हें **पद एवं गोपनीयता** की शपथ दिलाता है।
- **राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे-** अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता, अनुच्छेद 316 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। (महत्वपूर्ण यह कि राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त जरूर करता है लेकिन उनको उनके पद से हटा नहीं सकता। लोकसेवा आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर और कुछ निरर्हता ओंके होने पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। (अनुच्छेद 317)
- अनुच्छेद 217 के तहत राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है।
- अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात करता है
- अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य की विधायी व प्रशासनिक सूचना मुख्यमंत्री से प्राप्त करें।
- अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के समय केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है।
- अनुच्छेद 243 **K**-पंचायतीराज व अनुच्छेद 243 **ZA**- नगर निकायों के लिए राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- अनुच्छेद 243 **I**-पंचायतीराज व अनुच्छेद 243 **Y**- नगर निकायों के लिए राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- राज्यपाल सभी राज्य पोषित सरकारी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा उपकुलपतियों की नियुक्त करता है।
- राज्य सुचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य सुचना आयोग व राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल **'राजस्थान रेडक्रास सोसायटी' व 'पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र- उदयपुर'** का अध्यक्ष होता है
- लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।

2. <u>विधायी शक्तियां</u> –

- अनुच्छेद 168 के तहत राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा एवं विधानपरिषद तीनों शामिल होते हैं अतः राज्यपाल विधान मंडल का अभिन्न अंग होता हैं।
- **अनुच्छेद 171** के तहत जिन राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है वहाँ पर उच्च सदन (विधानपरिषद) में राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आन्दोलन और समाजसेवा क्षेत्र के सामान्य जानकार या विशेषज्ञ हो।
- **अनुच्छेद 174** के तहत राज्यपाल विधानसभा के सत्र को आहूत, सत्रावसान या विघटित कर सकता है।
- **अनुच्छेद 176** के तहत राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित/ अभिभाषण कर सकता है।

- दूसरे राज्यपाल जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया- **प्रतिभा पाटिल**
- राजस्थान के ऐसे राज्यपाल हैं जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं- **बलिराम भगत**
- राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया- **रघुकुल तिलक**
- राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल- **गुरुमुख निहाल सिंह**
- राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल- **टी.वी. राजेश्वर**
- राजस्थान में अब तक 17 बार कार्यवाहक राज्यपाल बने जा चुके हैं।
- वर्तमान में कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल है।
- राजस्थान के राज्यपाल का ग्रीष्मकालीन प्रवास माउंट आबू राजस्थान में स्थित राजभवन में होता है यह भवन 1868 में भारत के गवर्नर जनरल के ए. जी. जी. के रेजिडेंस के तौर पर बनाया गया था।

➢ **राजस्थान के राज्यपालों की सूची –**

क्र.	राज्यपाल	कार्यकाल
1.	सवाई मानसिंह-II (प्रथम राजप्रमुख)	30 मार्च,1949 – 31 अक्टूबर,1956
2.	सरदार गुरुमुख निहाल सिंह (प्रथम राज्यपाल)	1 नवम्बर, 1956 – 15 अप्रैल, 1962
3.	डॉ.सम्पूर्णानंद	16 ,अप्रैल 1962 – 15 अप्रैल, 1967
4.	सरदार हुकुमसिंह	16 अप्रैल, 1967 – 19 नवम्बर, 1970
5.	जस्टिस जगतनारायण (कार्यवाहक)	20 नवम्बर, 1970 – 23 दिसम्बर, 1970
6.	सरदार हुकुमसिंह	24 दिसम्बर, 1970– 30 जून, 1972
7.	सरदार जोगिन्दर सिंह	1 जुलाई, 1972 – 14 फरवरी, 1977
8.	जस्टिस वेदपाल त्यागी (कार्यवाहक)	15 फरवरी, 1977 – 11 मई, 1977
9.	श्री रघुकुल तिलक	12 मई, 1977 – 8 अगस्त, 1981
10.	जस्टिस के.डी. शर्मा (कार्यवाहक)	8 अगस्त, 1981 – 5 मार्च, 1982
11.	एअरचीफमार्शल ओ.पी. मेहरा	6 मार्च, 1982 – 4 जनवरी, 1985
12.	जस्टिसपी.के. बनर्जी (कार्यवाहक)	5 जनवरी, 1985 – 31 जनवरी, 1985
13.	एअरचीफ मार्शल ओ.पी. मेहरा	1 फरवरी, 1985 - 3 नवम्बर, 1985
14.	जस्टिस डी.पी. गुप्ता (कार्यवाहक)	4 नवम्बर, 1985 – 19 नवम्बर, 1985
15.	जस्टिस जगदीश शरण वर्मा (कार्य.)	20 नवम्बर, 1985– 14 अक्टूबर, 1987
16.	श्री वसन्तराव पाटिल	15 अक्टूबर, 1987 – 19 फरवरी, 1988
17.	श्री सुखदेव प्रसाद	20 फरवरी, 1988 – 2 फरवरी, 1989
18.	जस्टिस जगदीश शरण वर्मा (कार्य.)	3 फरवरी, 1989 – 19 फरवरी, 1989
19.	श्री सुख देव प्रसाद	20 फरवरी, 1989 – 2 फरवरी, 1990
20.	श्री मिला पचंद जैन (कार्यवाहक)	3 फरवरी, 1990 – 13 फरवरी, 1990
21.	प्रो. देवीप्रसाद चटोपाध्याय	14 फरवरी, 1990 – 25 अगस्त, 1991
22.	डॉ स्वरुप सिंह (कार्यवाहक)	26 अगस्त, 1991 - 4 फरवरी, 1993
23.	डॉ. एम. चेन्नारेड्डी	5 फरवरी, 1992 – 30 मई, 1993
24.	श्री धनिक लाल मंडल (कार्यवाहक)	31 मई, 1993 – 29 जून, 1993
25.	श्री बलि राम भगत	30 जून, 1993 – 30 अप्रैल, 1998
26.	सरदार दरबारा सिंह	1 मई, 1998 – 23 मई, 1998
27.	श्री एन.एल. टिबेरवाल (कार्यवाहक)	24 मई, 1998 – 15 जनवरी, 1999
28.	जस्टिस अंशुमान सिंह	16 जनवरी, 1999 – 13 मई, 2003

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

29.	श्री निर्मल चंद्र जैन	14 मई, 2003 – 13 जनवरी, 2004
30.	श्री कैलाश पति मिश्रा (कार्यवाहक)	22 सितम्बर, 2003 – 13 जनवरी,2004
31.	श्री मदनलाल खुराना	14 जनवरी, 2004 – 31 अक्तुबर,2004
32.	श्री टी.वी. राजेश्वर (कार्यवाहक)	1 नवम्बर, 2004 – 7 नवम्बर, 2004
33.	श्री मति प्रतिभा पाटिल	8 नवम्बर, 2004 – 23 जून, 2007
34.	डॉ ए. आर. किदवई (कार्यवाहक)	23 जून, 2007 – 5 सितम्बर, 2007
35.	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह	6 सितम्बर, 2007 – 9 जुलाई, 2009
36.	श्री रामेश्वर ठाकुर (कार्यवाहक)	10 जुलाई, 2009 – 22 जुलाई, 2009
37.	श्री शिलेन्द्र कुमार सिंह	23 जुलाई, 2009– 24 जनवरी, 2010
38.	श्री मती प्रभाराव (कार्यवाहक)	03 दिसम्बर, 2009 – 24 जनवरी,2010
39.	श्रीमती प्रभाराव	25 जनवरी, 2010 – 26 अप्रैल, 2010
40.	श्री शिवराज पाटिल (कार्यवाहक)	28 अप्रैल, 2010 – 11 मई, 2012
41.	श्रीमती मार्पोट आलवा	12 मई, 2012 – 7 अगस्त, 2014
42.	श्री रामनाईक (कार्यवाहक)	8 अगस्त, 2014 – 3 सितम्बर, 2014
43.	श्री कल्याणसिंह	8 सितम्बर, 2014- 8 सितम्बर, 2019
44.	श्री कलराज मिश्र	9 सितम्बर, 2019 से 30 जुलाई 2024
45.	हरिभाऊ किसनराव बागड़े	31 जुलाई 2024 से लगातार

अध्याय – 2

मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद्

- मुख्यमंत्री किसी राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है । वह राज्य विधानसभा का नेता होता है । राज्य की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री के हाथों में है । वह राज्य का वास्तविक शासक/तथ्यत प्रमुख / डी-फैक्टों हेड होता है ।
- मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा संविधान के **अनुच्छेद 164 (1)** के तहत की जाती है ।
- सामान्यत , राज्यपाल बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है । लेकिन यदि चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है , उस स्थिति में राज्यपाल स्वविवेक से मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। उसे एक माह के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है ।
- राज्यपाल स्वविवेक द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति ऐसे समय पर करता है जब कार्यकाल के दौरान किसी मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए और कोई उत्तराधिकारी तय नहीं हो या चुनावों में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ हो।

NOTE- केन्द्र शासित प्रदेशों में (जहाँ विधानसभा है) मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति , राष्ट्रपति करता है । वर्तमान में भारत के तीन केन्द्र शासित प्रदेशों क्रमशः पुदुच्चेरी, दिल्ली और जम्मू- कश्मीर में विधानसभाओं का प्रावधान है ।

- **अनुच्छेद 164 (3)** मुख्यमंत्री व मंत्रियों को शपथ राज्यपाल दिलाता है । राज्य का मुख्यमंत्री कार्यग्रहण से पूर्व राज्यपाल के समक्ष पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है। मुख्यमंत्री व मंत्रियों की शपथ का प्रारूप **भारतीय संविधान की अनुसूची 3** में मिलता है ।
- **अनुच्छेद 164 (4)** मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों की योग्यता भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री पद के लिए योग्यताएँ आवश्यक है जो एक मंत्री पद के लिए होती है ।

जैसे–

(1) न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो ।

(2) राज्य विधानमण्डल के दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो।

NOTE- यदि मुख्यमंत्री विधानमण्डल के किसी भी सदन का सदस्य न भी हो तो 6 माह तक मुख्यमंत्री रह सकता है । 6 माह के भीतर उसे विधानमण्डल के किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है अन्यथा त्यागपत्र देना पड़ता है । मुख्यमंत्री सामान्यतः विधानमण्डल के निम्न सदन (विधान सभा) का सदस्य होता है, लेकिन उच्च सदन (विधान परिषद) के सदस्य को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है यदि उस राज्य में द्विसदनात्मक विधान मण्डल है तो ।

अध्याय – 3

राजस्थान विधानसभा

- संविधान के **छठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक** राज्य विधानमंडल की संरचना , गठन , कार्यकाल , प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार तथा शक्तियों आदि का प्रावधान है ।
- अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमण्डल होगा जो राज्यपाल और एक या दो सदनों से मिलकर बनेगा ।
- जहाँ विधानमण्डल के दो सदन है वहाँ एक का नाम विधान परिषद् (उच्च सदन / द्वितीय सदन / वरिष्ठों का सदन) है जबकि दूसरे का नाम विधानसभा (निम्न सदन / पहला सदन / लोकप्रिय सदन) है ।

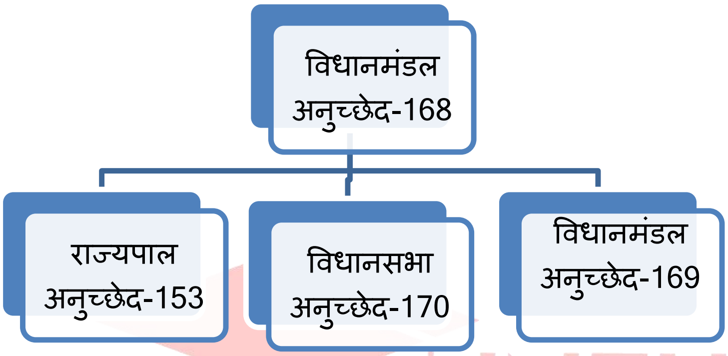

- **राज्य विधानपरिषद् व विधानसभा**

- **अनुच्छेद 170 के अनुसार** प्रत्येक राज्य की एक विधानसभा होगी । विधानसभा को निम्न सदन / पहला सदन भी कहा जाता है ।)
- विधानसभा के सदस्य राज्यों के लोगों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं क्योंकि उन्हें किसी एक राज्य के 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों द्वारा सीधे तौर पर चुना जाता है।(फर्स्ट पास्ट द पोस्ट / अग्रता ही विजेता)
- इसके अधिकतम आकार को भारत के संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया है जिसमें 500 से अधिक व 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। इनके बीच की संख्या राज्य की जनसंख्या एवं इसके आकार पर निर्भर है ।
- हालाँकि अपवाद के तौर पर गोवा (40), सिक्किम (32), मिजोरम (40) और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी (30) है।
  NOTE - संसद कानून बनाकर विधानसभा की सीटों में वृद्धि कर सकती है । इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है ।

- वर्तमान में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले राज्य- उत्तरप्रदेश (404) , पश्चिम बंगाल (295) बिहार (243) महाराष्ट्र (288)

NOTE : - दो केन्द्रशासित प्रदेश दिल्ली एव पुडुचेरी में विधानसभा है जहाँ क्रमशः 70 एवं 30 सदस्यों की संख्या है। जम्मू - कश्मीर को दो केन्द्रशासित प्रदेशों (जम्मू - कश्मीर व लद्दाख) में विभाजित कर दिया गया है । जम्मू - कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश में भी विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया है ।

- प्रत्येक विधानसभा का कार्यकाल पांच वर्षों का होता है जिसके बाद पुनः चुनाव होता है। आपात काल के दौरान, इसके सत्र को बढ़ाया जा सकता है या इसे भंग किया जा सकता है ।
- विधानसभा को बहुमत प्राप्त या गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर भी भंग किया जा सकता है ।
- विधानसभा को भी राज्यसभा व विधानपरिषद् के सामान ही कानूनी ताकतें होती हैं ।
- **अनुच्छेद 170** के अनुसार राज्य के भीतर प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या के अनुसार आनुपातिक रूप से समान प्रतिनिधित्व होगा ।
- जनसंख्या का अभिप्राय वह पिछली जनगणना है जिसकी सूची प्रकाशित की गई है ।
- राजस्थान की विधानसभा सीटें 200 हैं लेकिन प्रथम आम चुनाव (वर्ष 1952) में राजस्थान की विधानसभा सीटें 160 थी जिसमें से 82 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी तथा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रामराज्य परिषद् (24 सीटें) थी । छठी विधानसभा (वर्ष 1977) में राजस्थान की विधानसभा सीटें 200 हो गई । विधानसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 332 में है । वर्तमान में कुल 200 विधानसभा सीटों में से 34 सीटें अनुसूचित जाति व 25 सीटें अनुसचित जनजाति के लिए आरक्षित है ।
- **संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार** संसद विधि द्वारा विधान परिषद् का गठन या उन्मूलन कर सकती है । इसके लिए संबंधित राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया है ।
- संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने सामान्य बहुमत से स्वीकृति देने पर संबंधित राज्य मे विधानपरिषद् का गठन एवं उन्मूलन होता है ।

NOTE - विधानपरिषद् के गठन व उत्सादन पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होती है ।

- वर्तमान में छः राज्यों में विधानपरिषद् हैं 1. आंध्रप्रदेश 2 तेलगांना 3. उत्तर प्रदेश 4 बिहार 5. महाराष्ट्र 6. कर्नाटक

- **NOTE – अप्रैल, 2012** में राजस्थान विधानसभा द्वारा विधानपरिषद् के गठन हेतु एक प्रस्ताव पारित किया गया था । जिसमें विधानपरिषद् की संख्या 66 निर्धारित की गई थी । इस पर अगस्त, 2013 में राज्यसभा एक विधेयक लाया गया था जो वर्तमान में लम्बित है ।

अनुच्छेद 171 - विधान परिषद् की संरचना

संख्या : - इसमें अधिकतम संख्या संबंधित राज्य की विधानसभा की एक - तिहाई और न्यूनतम 40 निश्चित है।

NOTE :- इनकी वास्तविक संख्या संसद निर्धारित करती है।

निर्वाचन पद्धति :- विधानपरिषद् के सदस्य का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है ।

विधान परिषद् के कुल सदस्यों में से –

(i) 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे- नगरपालिका , जिला परिषद् आदि के सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाता है।

(ii) 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है ।

(iii) 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है जिन्हें साहित्य , ज्ञान , कला , सहकारिता , समाज - सेवा का विशेष ज्ञान हो ।

(iv) 1/12 सदस्यों का निर्वाचन माध्यमिक स्तर के स्कूल के अध्यापक करते है जो पिछले 3 वर्षों से अध्यापन करा रहे हैं ।

(v) 1/12 सदस्यों को राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं ।

इस प्रकार विधान परिषद् के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और 1/6 को राज्यपाल नामित करता ।

NOTE-राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों को किसी भी स्थिति में अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है ।

विधान परिषद् एवं सदस्यों का कार्यकाल :

- राज्य की विधान परिषद् का विघटन नहीं होगा किन्तु इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं ।
- इस तरह एक सदस्य छह वर्ष के लिए सदस्य बनता है । खाली पदों को नए चुनाव और नामांकन (राज्यपाल द्वारा) हर तीसरे वर्ष के प्रारंभ में भरा जाता है ।
- सेवानिवृत्त सदस्य भी पुनः चुनाव और दोबारा नामांकन हेतु योग्य होते हैं ।

- **अनुच्छेद 172** राज्यों के विधान मण्डलों की अवधि
- अनुच्छेद 172 (1) विधानसभा का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष होता है ।
- राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद विधि निर्माण द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक बार मे एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है । आपातकाल के समाप्त होने के पश्चात् बढ़ायी गई अवधि 6 माह तक रह सकती है । राजस्थान की 5 वीं विधानसभा का कार्यकाल आपातकाल के समय बढ़ाया गया था । अतः राजस्थान की सर्वाधिक कार्यकाल वाली विधानसभा 5 वीं थी ।
- अनुच्छेद 172 (2) विधान परिषद् एक स्थायी सदन है , इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है । प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते है और उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते है ।
- **अनुच्छेद 173 विधानमंडल (विधानपरिषद् व विधानसभा)** के सदस्यों के लिए अर्हताएँ / योग्यताएँ

विधानपरिषद्	**विधानसभा**
भारत का नागरिक हो ।	वह भारत का नागरिक हो।
वह 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो ।	वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो ।
संसद द्वारा निश्चित की गई योग्यता धारण करता हो ।	वह पागल या दिवालिया न हो ।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किसी व्यक्ति को उस राज्य के किसी विधानसभा के निर्वाचन का निर्वाचक होना चाहिए	वह शासकीय सेवा में न हो अर्थात् किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो
राज्यपाल उसी व्यक्ति को मनोनीत करेंगे जो राज्य का मूल निवासी हो ।	संसद द्वारा निर्धारित की गई अन्य शर्तों को पूर्ण करता हो।

➢ **अनुच्छेद 174** राज्यपाल विधान मण्डल का सत्राहूत , सत्रावसान व विधानसभा को भंग (विघटित) कर सकता है ।

- विधानसभा का सत्र राज्यपाल बुलाता है लेकिन अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करता है ।
- दो सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता अर्थात् वर्ष में कम से कम दो सत्रों का आयोजन किया जाना आवश्यक है । दो सत्रों के बीच के अंतराल को **विश्रांतिकाल** कहा जाता है।
- एक वर्ष में सामान्यतः तीन सत्रों (बजट सत्र , मानसून सत्र , शीतकालीन सत्र) का आयोजन किया जाता है ।
- विधानसभा का सत्रावसान (सत्र समाप्त) राज्यपाल करता है लेकिन स्थगन / स्थगित विधान सभाध्यक्ष करता है ।
- कुछ विशेष कारणों अनुशासनहीनता , अव्यवस्था , शोर - शराबें आदि के कारण सदन की बैठक को अस्थायी रूप से रोक देना , **स्थगन कहलाता** है ।
- जब विधान मण्डल की बैठकों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को ' **साइन - डाई** ' कहा जाता है । स्थगन से केवल बैठक समाप्त होती है सत्र नहीं , लेकिन सत्रावसान से बैठक के साथ - साथ सत्र भी समाप्त हो जाता है ।
- राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद् (मुख्यमंत्री) की सलाह पर विधानसभा को भंग (विघटित) कर सकता है ।

अनुच्छेद 175 विधानमंडल के सदनों में अभिभाषण और किसी लंबित विधेयक के संबंध में उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार

अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण

राजस्थान का भूगोल

अध्याय – 1

सामान्य परिचय

राजस्थान का विस्तार -इसका अध्ययन करने से पहले इससे जुड़े हुए कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदुओं को समझिए-

1. भूमध्य रेखा (विषुवत रेखा)
2. कर्क रेखा
3. मकर रेखा
4. अक्षांश
5. देशांतर

इन मानचित्र को ध्यान से समझिए-

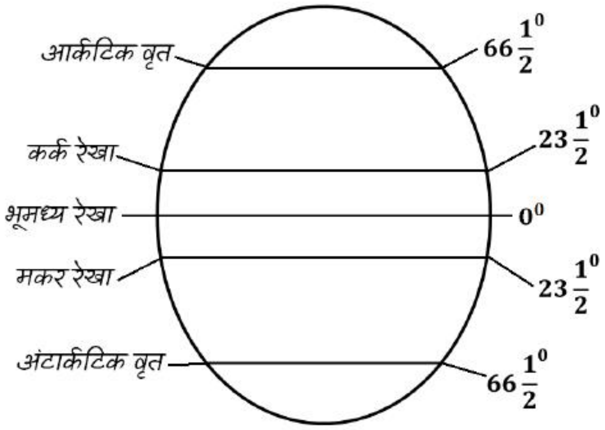

मानचित्र – 1

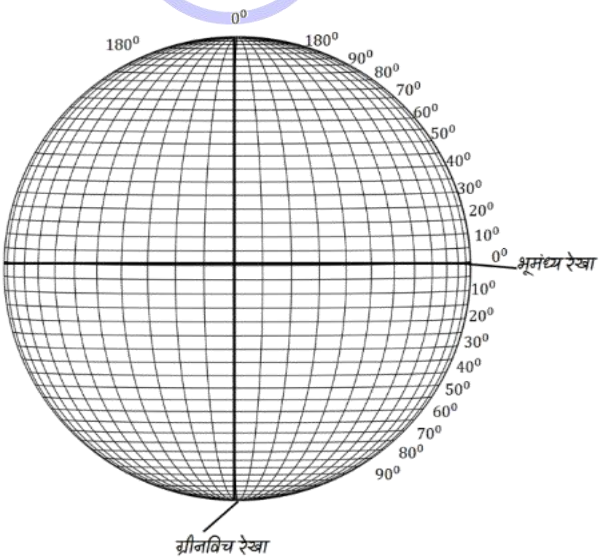

मानचित्र – 2

नोट - भूमध्य रेखा :- "विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा" पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। यह पृथ्वी को दो गोलार्द्धों, उत्तरी व दक्षिणी में विभाजित करती है।

इस रेखा पर प्रायः वर्ष भर दिन और रात की अवधि बराबर होती, यही कारण है कि इसे **विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा** कहा जाता है।
विषुवत रेखा के उत्तर में कर्क रेखा है व दक्षिण में मकर रेखा है।

नोट- पृथ्वी या ग्लोब को दो काल्पनिक रेखाओं द्वारा "उत्तर - दक्षिण तथा पूर्व - पश्चिम" में विभाजित किया गया है । इन्हें अक्षांश व देशांतर रेखाओं के नाम से जानते है।

अक्षांश रेखाएँ - वह रेखाएं जो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर बनी हुई है, अर्थात् भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की उत्तरी अथवा दक्षिणी ध्रुव की ओर की कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहते है। भूमध्य रेखा को अक्षांश रेखा माना गया है। (देखें मानचित्र -1)
ग्लोब पर कुछ अक्षांशों की संख्या (90^0 उत्तरी गोलार्द्ध में और 90^0 दक्षिणी गोलार्द्ध में) कुल 180^0 है तथा अक्षांश रेखा को शामिल करने पर इनकी संख्या 181^0 होती है।

देशांतर रेखाएं- उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360^0 रेखाओं को देशांतर रेखाएँ कहा जाता है।
पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली और उत्तर - दक्षिण दिशा में खींची गयी। **काल्पनिक रेखाओं को याम्योत्तर , देशान्तर , मध्यान्तर रेखाएं कहते हैं।**

- ग्रीनविच, (जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है) से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए । इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं।
- इसका मान देशांतर है तथा यहाँ से हम $180°$ डिग्री पूर्व या $180°$ डिग्री पश्चिम तक गणना करते है।

नोट -उपर्युक्त विषय को अधिक विस्तार से समझने के लिए हमारी अन्य पुस्तक "भारत एवं विश्व का भूगोल पढ़े"।

राजस्थान का **अक्षांशीय विस्तार 23°03" से 30°12" उत्तरी अक्षांश** ही तक है जिसका **अंतर 7°09 मिनट** है। जबकि राजस्थान का **देशांतरीय विस्तार 69°30" से 78°17" पूर्वी देशांतर** है। जिसका अंतर **8°47 मिनट है।** (देखें मानचित्र A, B)

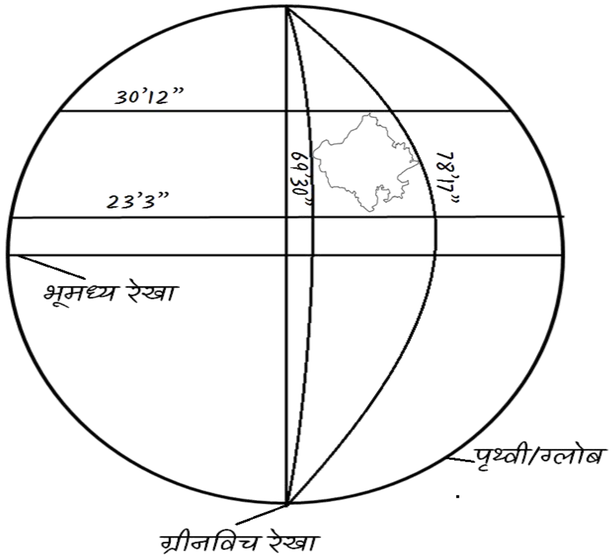

(मानचित्र-A

<u>नोट-</u> राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार **<u>7°9"(30°12"- 23°03")</u>** है तथा कुल देशांतरीय विस्तार **<u>8°47" (78°17" - 69°30")</u>** है।

1° = 4 मिनट
1" =111.4 किलोमीटर होता है ।

- राजस्थान का कुल **क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर** है जो कि संपूर्ण भारत का **10.41%** है।
- भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ।
- जो हिमाच्छादित हिमालय की ऊंचाइयों से शुरू होकर दक्षिण के विषुवतीय वर्षा वनों तक फैला हुआ है। जो संपूर्ण विश्व का 2.42% है।
- 1 नवंबर 2000 से पूर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का **सबसे बड़ा राज्य मध्यप्रदेश** था, लेकिन 1 नवंबर 2000 के बाद मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग होने हो जाने पर भारत का **सबसे बड़ा राज्य** (क्षेत्रफल की दृष्टि से) राजस्थान बन गया।

  2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या 68,548,437 थी। जो कि कुल देश की जनसंख्या का **5.67%** है।

➢ **<u>कर्क रेखा राजस्थान में स्थित:-</u>**

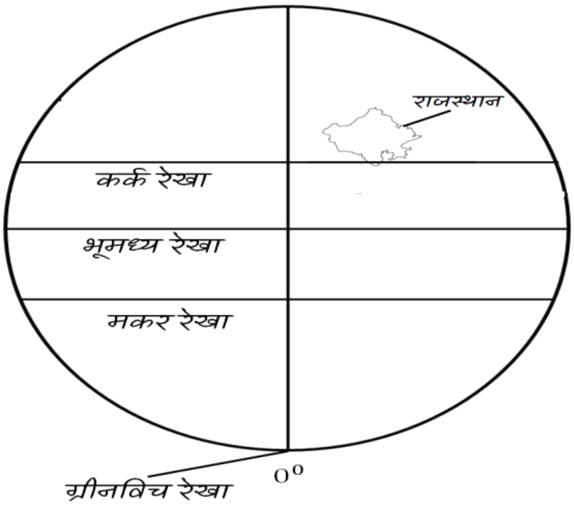

<u>कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है-</u>

1. गुजरात 2. राजस्थान 3. मध्यप्रदेश 4. छत्तीसगढ़ 5. झारखंड 6. पश्चिम बंगाल 7. त्रिपुरा 8. मिजोरम

- राजस्थान में **कर्क रेखा बाँसवाड़ा** जिले के मध्य से **कुशलगढ़ तहसील** से गुजरती है इसके अलावा कर्क रेखा डूंगरपुर जिले को भी स्पर्श करती है अर्थात् **कुल दो जिलों से होकर गुजरती है ।**
- राजस्थान में कर्क रेखा की कुल **लंबाई 26 किलोमीटर** है। राजस्थान का सर्वाधिक भाग कर्क रेखा के उत्तरी भाग में स्थित है।
- राजस्थान का कर्क रेखा से सर्वाधिक नजदीकी शहर बाँसवाड़ा है।
- भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती है, अतः वहाँ पर तापमान अधिक होता है। जैसे - जैसे भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ती जाती है, वैसे - वैसे सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है और तापमान में कमी आती जाती है।
- राजस्थान में **बाँसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी** पड़ती है जबकि गंगानगर में सर्वाधिक तिरछी पड़ती है।
- **कारण** - बाँसवाड़ा सर्वाधिक दक्षिण में स्थित है तथा श्रीगंगानगर सबसे उत्तर में स्थित है।
- राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के अनुसार राज्य का सबसे गर्म जिला बाँसवाड़ा होना चाहिए एवं राज्य का सबसे ठंडा जिला श्रीगंगानगर होना चाहिए लेकिन वर्तमान में राज्य का **सबसे गर्म व सबसे ठंडा जिला चूरु** है। यह जिला सर्दियों में सबसे अधिक ठंडा एवं गर्मियों में सबसे अधिक गर्म रहता है । इसका कारण यहाँ पाई जाने वाली **रेत व जिप्सम** है ।
- पूर्वी देशांतरीय भाग सूर्य के सबसे पहले सामने आता है, इस कारण **सर्वप्रथम सूर्योदय व सूर्यास्त राजस्थान के पूर्वी भाग धौलपुर** में होता है, जब कि सबसे पश्चिमी जिला जैसलमेर है। अतः जैसलमेर में सबसे अंत में सूर्योदय व सूर्यास्त होता है।

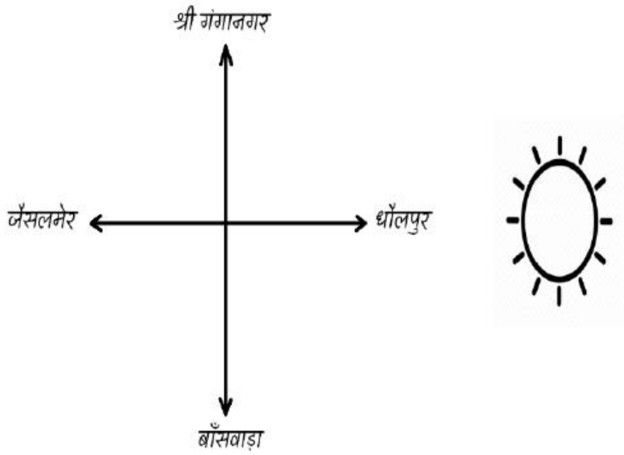

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

विस्तारः-

राजस्थान राज्य की **उत्तर से दक्षिण** तक की **कुल लंबाई 826 किलोमीटर** है तथा इसका विस्तार उत्तर में श्रीगंगानगर जिले के कोणा गाँव से दक्षिण में बाँसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील के बोरकुंड गाँव तक है।

इसी प्रकार **पूर्व से पश्चिम तक** की **चौड़ाई 869 किलोमीटर** है तथा विस्तार पूर्व में धौलपुर जिले के जगमोहनपुरा की ढाणी, सिलाना गाँव, राजाखेड़ा तहसील से पश्चिम में जैसलमेर जिले के कटरा गाँव (सम-तहसील) तक है।

आकृति

विषम कोणीय चतुर्भुज या **पतंग** के आकार के समान है।

राज्य की स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर (1070 अंतर्राष्ट्रीय व 4850 अंतर्राज्यीय) है।

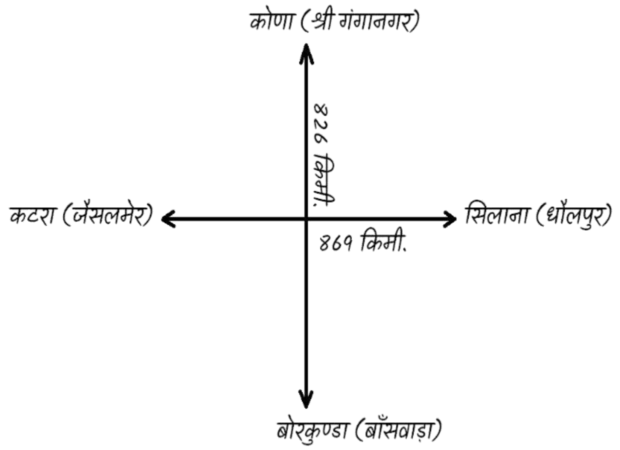

➢ **रेडक्लिफ रेखा**

- रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। इसके संस्थापक सर सिरिल एम रेडक्लिफ को माना जाता है।
- रेडक्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई ।
- इसकी भारत के साथ कुल सीमा 3310 किलोमीटर है।

रेडक्लिफ रेखा पर भारत के तीन राज्य व दो केंद्र शासित प्रदेश स्थित है।

1. जम्मू-कश्मीर (1216 कि.मी. लद्दाख को मिलाकर)
2. लद्दाख
3. पंजाब (547 कि.मी.)
4. राजस्थान (1070 कि.मी.)
5. गुजरात (512 कि.मी.)

- रेडक्लिफ रेखा के साथ **राजस्थान की सर्वाधिक सीमा - (1070 कि.मी.)**
- रेडक्लिफ रेखा के साथ **सबसे कम सीमा- गुजरात (512 कि.मी.)**
- रेडक्लिफ रेखा के सर्वाधिक नजदीक राजधानी मुख्यालय - श्रीनगर
- रेडक्लिफ रेखा के सर्वाधिक दूर राजधानी मुख्यालय - जयपुर
- रेडक्लिफ रेखा पर क्षेत्र में बड़ा राज्य - राजस्थान
- रेडक्लिफ रेखा पर क्षेत्र में सबसे छोटा राज्य - पंजाब
- रेडक्लिफ रेखा के साथ राजस्थान की कुल सीमा **1070 कि.मी.** है। जो **राजस्थान के पांच जिलों** से लगती है।
    - श्रीगंगानगर-210 कि.मी.
    - बीकानेर-168 कि.मी.
    - फलौदी
    - जैसलमेर- 464 कि.मी.
    - बाड़मेर- 228 कि.मी.
- रेडक्लिफ पर सर्वाधिक सीमा जैसलमेर तथा न्यूनतम सीमा रेखा फलौदी बनाता है ।
- 41 जिले बनाने से पहले सबसे कम सीमा बीकानेर की लगती थी ।
- रेडक्लिफ रेखा राज्य में उत्तर में श्रीगंगानगर के **हिन्दूमल कोट** से लेकर दक्षिण - पश्चिम में बाड़मेर के ब्राह्मणों की ढाणी, बाखासर गाँव, सेडवा तहसील तक विस्तृत है।
- रेडक्लिफ रेखा पर पाकिस्तान के 9 जिले पंजाब प्रान्त का बहावलपुर, बहावल नगर व रहीमयारखान तथा सिंध प्रान्त के घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संघर, उमरकोट व थारपाकर राजस्थान से सीमा बनाती हैं।

  राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा – बहावलपुर

  राजस्थान के साथ न्यूनतम सीमा- खैरपुर

  राजस्थान के साथ सीमा पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला बहावलपुर है।

  राजस्थान के साथ सीमा पर पाकिस्तान का सबसे छोटा जिला सुकुर है।

<u>पाकिस्तान के दो प्रांत राजस्थान की सीमा को छूते हैं।</u>

1. पंजाब प्रांत
2. सिंध प्रांत

- रेडक्लिफ रेखा एक कृत्रिम रेखा है।
- राजस्थान की रेडक्लिफ रेखा से सर्वाधिक सीमा जैसलमेर (464 कि.मी.) व न्यूनतम सीमा फलौदी की लगती है।
- रेडक्लिफ के नजदीक जिला मुख्यालय –गंगानगर
- रेडक्लिफ के सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय - बीकानेर
- रेडक्लिफ रेखा पर सबसे बड़ा जिला - जैसलमेर
- रेडक्लिफ रेखा पर सबसे छोटा जिला – श्रीगंगानगर

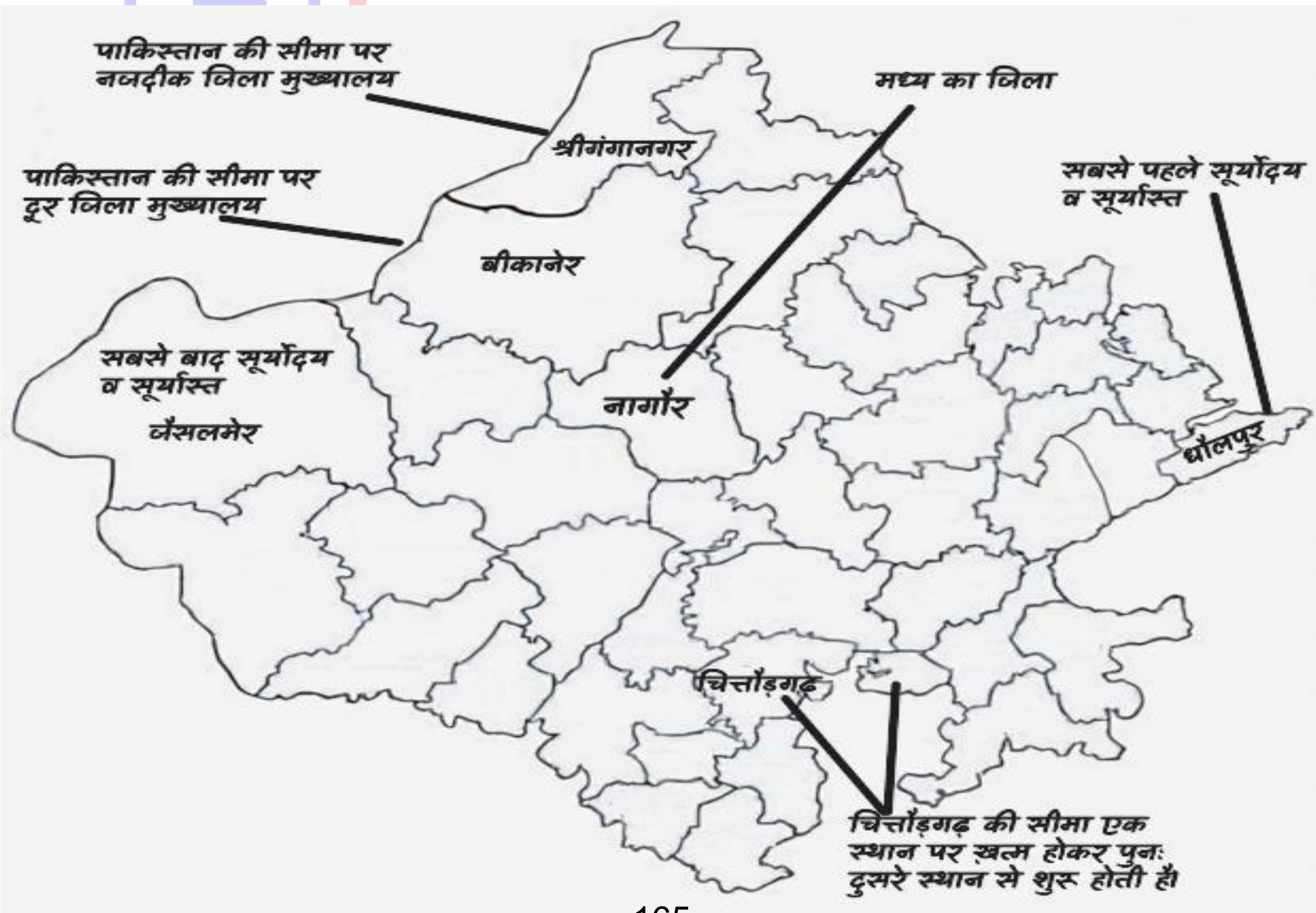

- राजस्थान के 8 जिलों (हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, खैरथल, अलवर, डीग) की सीमा हरियाणा के 7 जिलों (सिरसा, फतेहबाद, हिसार, भिवाणी, महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात / नूह) से लगती है।
- हरियाणा सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा जिला चुरू है।
- हरियाणा सीमा पर क्षेत्रफल में छोटा जिला खैरथल है।
- हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा हनुमानगढ़ व न्यूनतम सीमा अलवर की लगती है तथा सीमा के नजदीक जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ है।
- मेवात (नूह) नव निर्मित जिला है जो राजस्थान के अलवर जिले को छूता है।
- राजस्थान के 8 जिलों में से 4 नवनिर्मित जिलें हैं जो (डीग, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़ व नीम का थाना) हरियाणा से सीमा साझा करतें है।

शोर्ट ट्रिक

हरियाणा की सीमा से लगने वाले राजस्थान के जिले है।

"**खैर हनुमान** ने **डीग** के **झुन्झुने चुराकर कोट अली** को दिए"

सूत्र		**जिला**
खैर	-	खैरथल
हनुमान	-	हनुमानगढ़
डीग	-	डीग
झुंझुने	-	झुंझुनू
चुरा	-	चुरू
कोट	-	कोटपूतली
अली	-	अलवर

राजस्थान की सीमा से लगने वाले हरियाणा के जिले है।

"**महेंद्र मेवा रेवड़ी भी सिरसा हिसार फतेह** करके खाएगा"

सूत्र		**जिला**
महेंद्र	-	महेंद्रगढ़
मेवा	-	मेवा
रेवड़ी	-	रेवाड़ी
भी	-	भिवानी
सिरसा	-	सिरसा
हिसार	-	हिसार
फतेह	-	फतेहाबाद

➢ **उत्तरप्रदेश (877 किमी॰)**

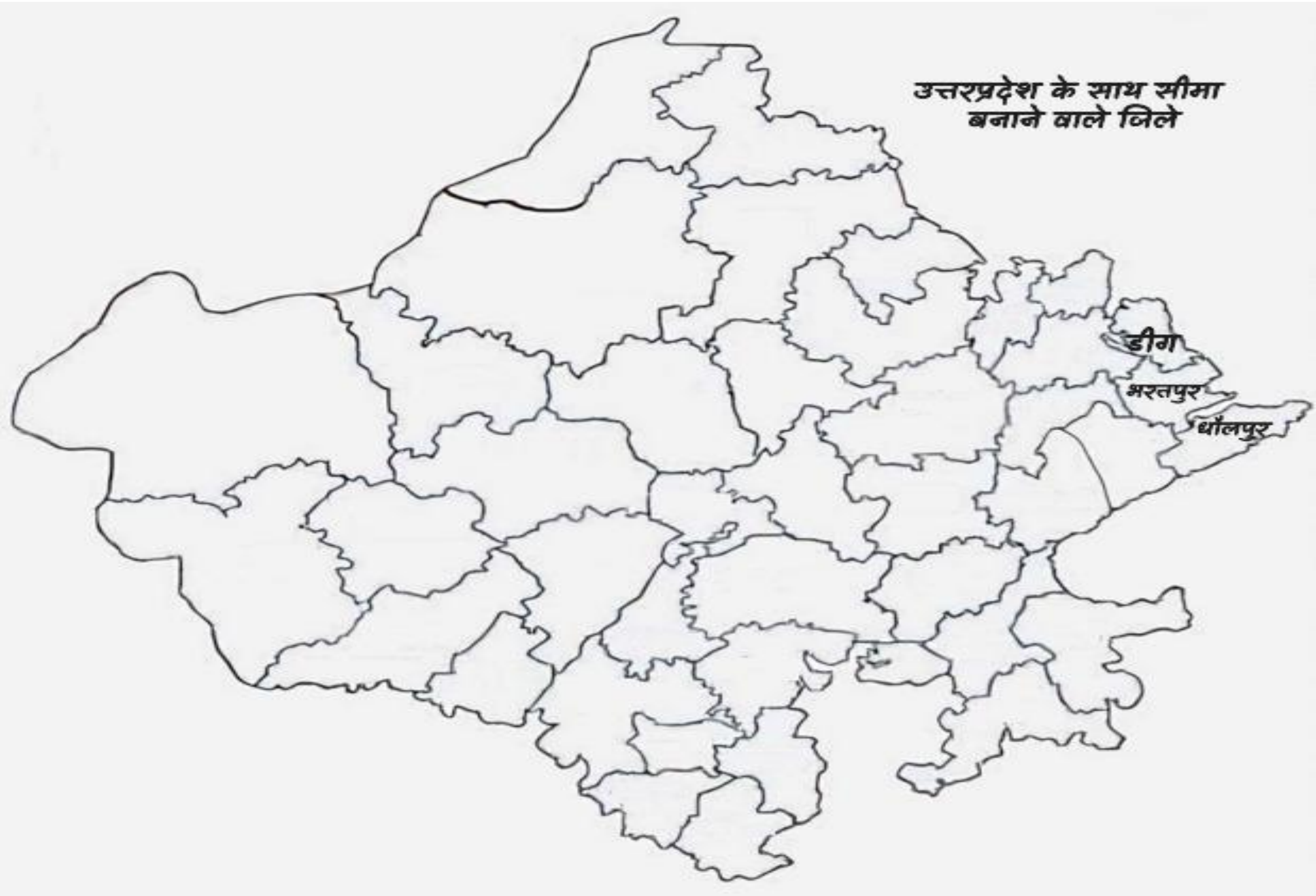

- राजस्थान के तीन जिलों (डीग, भरतपुर, धौलपुर) की सीमा उत्तरप्रदेश के दो जिलों (मथुरा व आगरा) से लगती है।
- उत्तरप्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा भरतपुर व न्यूनतम सीमा डीग की लगती है।
- उत्तरप्रदेश की सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा जिला भरतपुर व छोटा जिला डीग है।

➢ **मध्यप्रदेश (1600 किमी॰)**

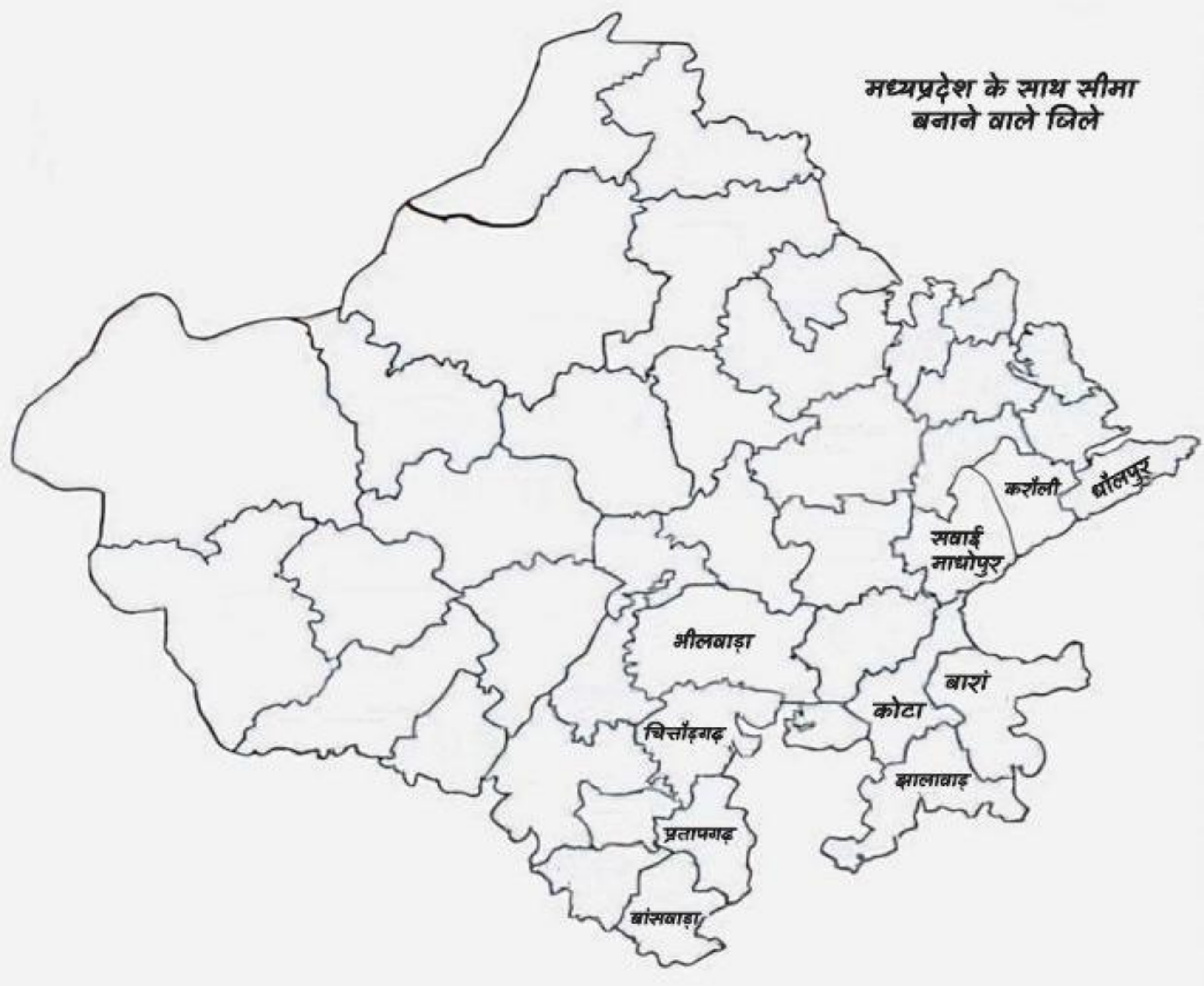

- राजस्थान के 10 जिलों (धौलपुर, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड, बारां, बांसवाडा, करौली) की सीमा मध्यप्रदेश के 10 जिलों की सीमा से लगती है। (झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, निमच, अगरमालवा, राजगढ, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना) मध्यप्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा झालावाड़ व न्यूनतम भीलवाड़ा की लगती है तथा सीमा के नजदीक मुख्यालय धौलपुर व दूर जिला मुख्यालय भीलवाड़ा है।
- मध्यप्रदेश राजस्थान की दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है।
- नीमच जिले के साथ राजस्थान की तीन दिशाओं से सीमा लगती है।

➢ **गुजरात (1022 किमी॰)**

- राजस्थान के 6 जिलों (बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बाँसवाड़ा) की सीमा गुजरात के 6 (कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, माहीसागर, दाहोद) जिलों से लगती है। गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा उदयपुर व न्यूनतम सीमा बाड़मेर की लगती है तथा सीमा के नजदीक जिला मुख्यालय डूंगरपुर व दूर मुख्यालय बाड़मेर है।
- गुजरात सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा जिला बाड़मेर व छोटा जिला डूंगरपुर है।
- राजस्थान के पांच पड़ोसी राज्य है । पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात

शोर्ट ट्रिक

गुजरात की सीमा से लगने वाले राजस्थान के जिले है।

"उदय डूंगर पर बासि बाड़ा जला"

सूत्र		जिला
उदय	-	उदयपुर
डूँगर पर	-	डूंगरपुर
बां	-	बाँसवाड़ा
सि	-	सिरोही
बाड़	-	बाड़मेर
जला	-	जालौर

- राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिले - 5 (श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी, बाड़मेर)
- राजस्थान के केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिले - 3 (बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी)
- राजस्थान के 13 जिलें ऐसे जिलें हैं जो न तो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं तथा न ही अंतरराष्ट्रीय ।
- झालावाड मध्यप्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा (520 कि.मी) बनाता है तथा बाड़मेर गुजरात के साथ न्यूनतम 14 कि.मी. की सीमा बनाता है।

राजस्थान के 2 ऐसे जिले है जिनकी अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा है –

1. श्रीगंगानगर (पाकिस्तान + पंजाब)
2. बाड़मेर (पाकिस्तान + गुजरात)

राजस्थान के 4 जिले ऐसे है जिनकी सीमा दो – दो राज्यों से लगती है-

हनुमानगढ़ :- पंजाब + हरियाणा
धौलपुर :- उत्तरप्रदेश + मध्यप्रदेश
बाँसवाड़ा :- मध्यप्रेदश + गुजरात
डीग :- उत्तरप्रदेश + हरियाणा

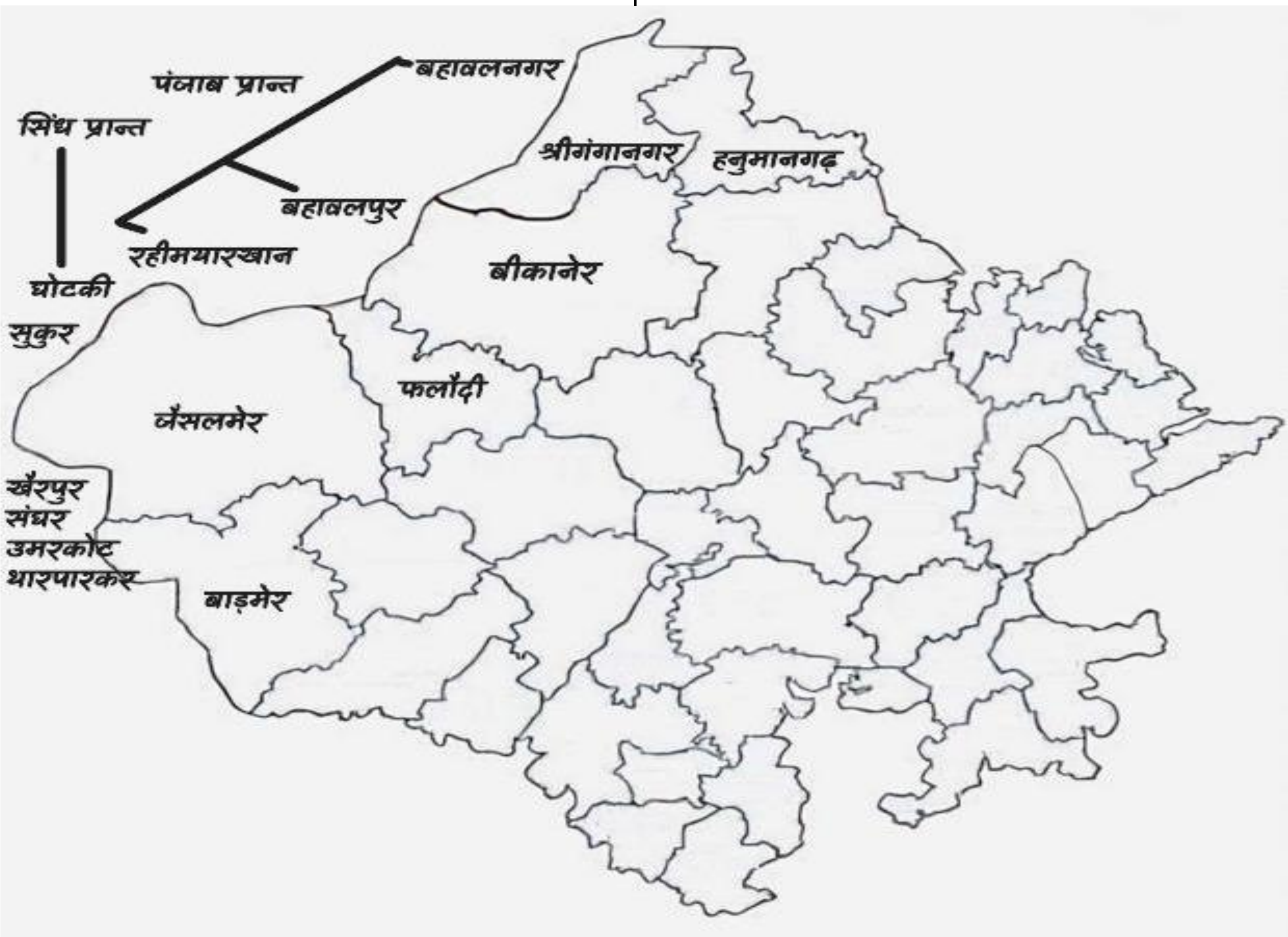

❖ **महत्त्वपूर्ण प्रश्न**

1. राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है - भरतपुर
2. महुआ के पेड़ पाये जाते है – उदयपुर व चित्तौड़गढ़
3. राजस्थान में छप्पनिया अकाल किस वर्ष पड़ा - 1956 वि.सं.
4. राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है – दक्षिण - पश्चिम से उत्तर - पूर्व में

नोट :- लेकिन राजस्थान में उत्तर – पश्चिम से दक्षिण - पूर्व की ओर वर्षा की मात्र में वृद्धि होती है।

5. राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊँचाई कितनी है -1722 मीटर
6. राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है – जोधपुर को
7. राजस्थान की आकृति है – विषम कोण चतुर्भुज
8. राजस्थान के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है - जैसलमेर
9. राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लम्बाई है - 5920 किमी
10. राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है - धौलपुर
11. राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष कहलाता है – रोहिड़ा
12. राजस्थान के किस क्षेत्र में सागौन के वन पाए जाते है – दक्षिणी
13. जून माह में सूर्य किस जिले में लम्बत् चमकता है – बाँसवाड़ा

14. राजस्थान में पूर्ण मरूस्थल वाले जिलें हैं- जैसलमेर, बाड़मेर
15. राजस्थान के कौन से भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है – दक्षिणी – पूर्वी
16. राजस्थान में सर्वाधिक तहसीलों की संख्या किस जिले में है – जयपुर
17. राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय किस जिले में होता है – धौलपुर
18. उड़िया पठार किस जिले में स्थित है – सिरोही
19. राजस्थान में किन वनों का अभाव है – शंकुधारी वन
20. राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भू-भाग रेगिस्तानी है – लगभग दो-तिहाई
21. राजस्थान के पश्चिम भाग में पाए जाने वाला सर्वाधिक विषैला सर्प – पीवणा सर्प
22. राजस्थान के पूर्णतया: वनस्पति रहित क्षेत्र - सम‌गाँव (जैसलमेर)
23. राजस्थान के किस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है –श्रीगंगानगर
24. राजस्थान का क्षेत्रफल इजरायल से कितना गुना है - 17 गुना बड़ा है
25. राजस्थान की 1070 किमी० लम्बी पाकिस्तान से लगी सीमा रेखा का नाम – रेडक्लिफ रेखा
26. कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से छूती हुई गुजरती है – डूंगरपुर व बाँसवाड़ा को
27. राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला – जयपुर
28. थार के रेगिस्तान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत राजस्थान में है - 58 प्रतिशत
29. राजस्थान के रेगिस्तान में रेत के विशाल लहरदार टीले को क्या कहते हैं – धोरे
30. राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क स्थित है – आँकल गाँव (जैसलमेर)

➢ **राजस्थान की अन्य राज्यों से सीमा**

राजस्थान के साथ जिन राज्यों की सीमा लगती है उन राज्यों के नाम :-

शॉर्ट ट्रिक :- "पं. हरि उत्तर में गुम गयों"

सूत्र		राज्य
पं	-	पंजाब
हरि	-	हरियाणा
उत्तर	-	उत्तर प्रदेश
में	-	मध्य प्रदेश
गु	-	गुजरात

➢ **पंजाब (89 किमी०)**

- राजस्थान के दो जिलों की सीमा पंजाब से लगती है तथा पंजाब के दो जिले फाजिल्का व मुक्तसर की सीमा राजस्थान से लगती है।
- पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा श्रीगंगानगर व न्यूनतम सीमा हनुमानगढ़ की लगती है।
- पंजाब सीमा के नजदीक जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर तथा दूर जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ है।
- पंजाब सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा जिला हनुमानगढ़ व छोटा श्रीगंगानगर जिला है।

शॉर्ट ट्रिक

पंजाब की सीमा से सटे राजस्थान राज्य के जिले है।

"श्री हनुमान"

सूत्र		जिला
श्री	-	श्रीगंगानगर
हनुमान	-	हनुमानगढ़

➢ **हरियाणा (1262 किमी०)**

राजस्थान के दो जिले खण्डित जिले हैं - 1. अजमेर - टॉडगढ़ 2. चित्तौड़गढ़ - रावतभाटा

राजस्थान में 7 अगस्त 2023 को **रामलुभाया समिति** के सुझावों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 और नए जिलें बनानें की घोषणा की। इसके साथ ही राजस्थान में जिलों की संख्या 33 से बढ़कर 50 हो गयी तथा 3 नये संभाग बनाये गए जिससे संभागों की संख्या 7 से बढ़कर 10 हो गयी।

नये जिलों के गठन के लिए 5 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी की गयी ।

6 अगस्त 2023 को अधिसूचना का गजट में प्रकाशन हुआ।

7 अगस्त 2023 से अधिसूचना प्रभावी हुई।

3 नए संभाग इस प्रकार हैं-

बांसवाड़ा, पाली व सीकर

- **19 नए जिले निम्नलिखित हैं-**

अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना-कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, केकड़ी, कोटपूतली-बहरोड, खैरथल, नीमकाथाना, सलूंबर, सांचौर और शाहपुरा

बाद में इन नए जिलों व संभागो की समीक्षा के लिए भजनलाल सरकार ने एक समिति बनायीं जिसमे 5 सदस्य एवं समिति का संयोजक डॉ. प्रेमचंद बैरवा को बनाया गया।

राज्य सरकार नें गहलोत सरकार द्वारा प्रस्तावित 3 जिलों (कुचामन, मालपुरा, सुजानगढ़) को रद्द कर दिया।

वर्तमान सरकार द्वारा 29 दिसम्बर 2024 को जारी अधिसूचना द्वारा नये 9 जिलों व 3 संभागों को निरस्त कर दिया ।

निरस्त किए गए जिले:

- अनूपगढ़
- जयपुर ग्रामीण
- जोधपुर ग्रामीण
- दूदू
- केकड़ी
- नीम का थाना
- गंगापुर सिटी
- सांचौर
- शाहपुरा

निरस्त किए गए संभाग:

- बांसवाड़ा
- पाली
- सीकर

- **बालोतरा** -
- बाड़मेर जिले का पुनर्गठन कर नया जिला बालोतरा गठित किया गया है ।
- इस जिले में 7 तहसील (पचपदरा, कल्याणपुर, सिवाना, समदड़ी, बायतु, गिड़ा, सिणधरी) हैं।

- **डीडवाना-कुचामन** -
- नागौर जिले का पुनर्गठन कर नया जिला डीडवाना-कुचामन गठित किया गया है।
- इस जिले में 8 तहसील (डीडवाना, मौलासर, छोटी खाटू, लाडनूं, परबतसर, मकराना, नावां, कुचामनसिटी) हैं।

- **डीग** -
- भरतपुर जिले का पुनर्गठन कर नया जिला डीग गठित किया गया है।
- इस जिले में 9 तहसील (डीग, जनूथर, कुम्हेर, रारह, नगर, सीकरी, कामां, जुरहरा, पहाड़ी) हैं।

- **फलौदी** :
- जोधपुर जिले का पुनर्गठन कर नया जिला फलौदी गठित किया गया है।
- इस जिले में 8 तहसील (फलौदी, लोहावट, आऊ, देचू, सेतरावा, बाप, घंटियाली, बापिणी) हैं।

- **कोटपूतली-बहरोड** –
- **जिला मुख्यालय** - कोटपूतली-बहरोड़
- जयपुर एवं अलवर जिलों का पुनर्गठन कर नया जिला कोटपूतली- बहरोड़ गठित किया गया है
- कोटपूतली - बहरोड़ जिले में 8 तहसील (बहरोड़, बानसूर, नीमराना, मांढण, नारायणपुर कोटपूतली. विराटनगर, पावटा) हैं। कोटपूतली, विराटनगर, पावटा को जयपुर से जोड़ा गया है, अन्य सभी को अलवर से जोड़ा गया है।

- **खैरथल-तिजारा** -
- **जिला मुख्यालय** – खैरथल
- अलवर जिले का पुनर्गठन कर नया जिला खैरथल तिजारा गठित किया गया है।
- नवगठित खैरथल-तिजारा जिले में 7 तहसील (तिजारा, किशनगढ़बास, खैरथल, कोटकासिम, हरसोली, टपूकडा, मुंडावर) हैं।

- **ब्यावर** :-
- **जिला मुख्यालय** - ब्यावर
- अजमेर, पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा जिलों का पुनर्गठन करके नया जिला ब्यावर गठित किया गया है।
- इस नव गठित ब्यावर जिले में 7 उपखंड (ब्यावर, टाटगढ़, जैतारण, रायपुर, मसूदा, विजयनगर और बदनोर) शामिल किए गए हैं।

- **सलूम्बर** :-

जिला मुख्यालय - सलूम्बर

उदयपुर जिले का पुनर्गठन करके नए जिले सलूम्बर का गठन किया गया है।

सलूंबर जिले में 5 उपखंड (सराडा, सेमारी, लसाडिया झल्लारा और सलूम्बर) शामिल किए गए हैं।

राजस्थान के संभाग

30 मार्च 1949 को राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी।

शुरुआत में राजस्थान में 5 संभाग (जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर) थे।

24 अप्रैल 1962 को संभागीय व्यवस्था को तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाडिया ने बंद कर दिया।

संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत 26 जनवरी 1987 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी नें की तथा अजमेर को जयपुर से अलग कर छठा संभाग बनाया।

4 जून 2005 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे नें भरतपुर को सातवाँ संभाग बनाया।

राजस्थान के 7 संभागो के नाम निम्नलिखित है-

1. अजमेर
2. उदयपुर
3. कोटा
4. जयपुर
5. जोधपुर
6. बीकानेर
7. भरतपुर

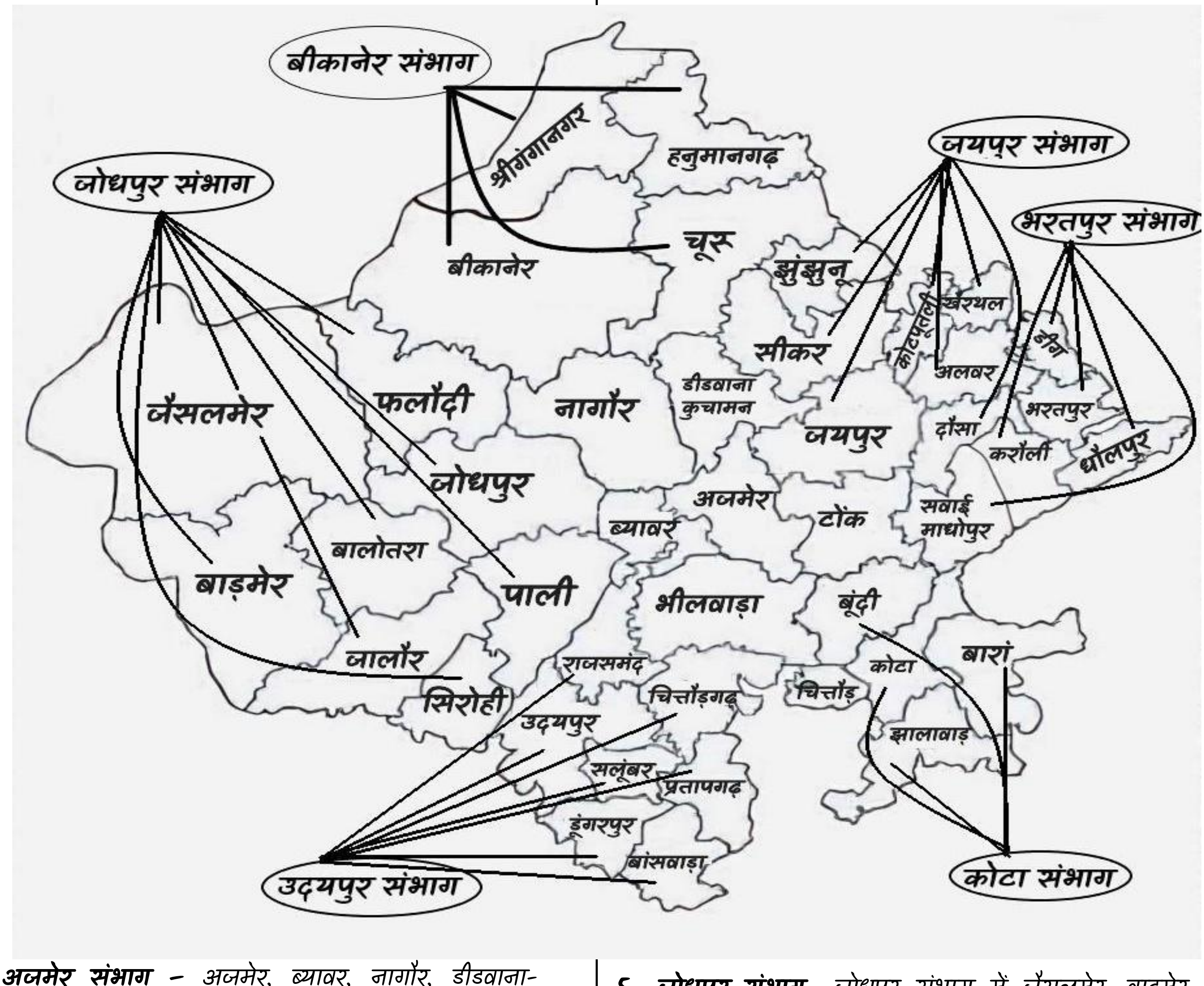

1. **अजमेर संभाग** – अजमेर, ब्यावर, नागौर, डीडवाना-कुचामन, टोंक व भीलवाड़ा
2. **उदयपुर संभाग** – उदयपुर संभाग में उदयपुर, सलुम्बर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बाँसवाड़ा, प्रतापगढ़ व राजसमन्द जिले आते है।
3. **कोटा संभाग**- कोटा संभाग में 4 जिले (बारां, बूंदी, कोटा, झालावाड़) आते है।
4. **जयपुर संभाग** – जयपुर संभाग में अलवर, खैरथल-तिजारा, जयपुर, कोटपुतली-बहरोड़, सीकर, झुंझुनू व दौसा जिले आते है।
5. **जोधपुर संभाग**- जोधपुर संभाग में जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलौदी, जोधपुर, जालौर, पाली व सिरोही आदि जिले आते है।
6. **बीकानेर संभाग** - बीकानेर संभाग में 4 जिले (श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरु, बीकानेर) शामिल है।
7. **भरतपुर संभाग** – भरतपुर संभाग में 5 जिले (भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और डीग) शामिल है।

लाल मिटटी के मिश्रण से हुआ है। यह राजस्थान में मुख्य रूप से काली - लाल मिट्टी के मध्य उदयपुर, डूंगरपुर, बाँसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में स्थित है।
इस मिट्टी में नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, व कैल्शियम के तत्वों की कमी पाई जाती है।
इस मिट्टी के कण छोटे - छोटे होते हैं। इसी कारण यह मिट्टी कपास, गन्ना, मक्का आदि के उत्पादन के लिए महत्त्वपूर्ण है।

5) **लाल - पीली मिट्टी** :- यह मिट्टी सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, सलूम्बर, जयपुर व टोंक जिलों में पाई जाती है।
इस मिट्टी में नाइट्रोजन, कैल्शियम एवं कार्बनिक यौगिकों की कमी एवं लौहऑक्साइड के प्रधानता पाई जाती है।

6) **काली मिट्टी**:-यह मिट्टी मुख्य रूप से कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में पाई जाती है।
इस मिट्टी में कपास का अधिक उत्पादन होने के कारण इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है।
इस मिट्टी में नाइट्रोजन व कैल्शियम के तत्वों की कमी एवं जैविक पदार्थ व पोटाश के तत्वों की प्रधानता पाई जाती है।
इस मिट्टी में कपास, गन्ना, चावल, खट्टे रसदार फल आदि का अत्यधिक उत्पादन होता है।

7) **जलोढ़ / दोमट / कछारी मिट्टी**:-
यह मिट्टी मुख्य रूप से अलवर, खैरथल-तिजारा, डीग, कोटपूतली-बहरोड़, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, दौसा/माही नदी बेसिन/चंबल नदी बेसिन/बनास नदी बेसिन में विस्तृत है।
इस मिट्टी में कैल्शियम व फॉस्फेट के तत्वों की कमी एवं नाइट्रोजन व पोटाश की अधिकता पाई जाती है।
इसी कारण राजस्थान में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी को माना जाता है।
इस मिट्टी में मुख्य रूप से सरसों गेहूँ चावल कपास गन्ना आदि का उत्पादन होता है।

8) **भूरी दोमट मिट्टी** :- राजस्थान में यह मिट्टी मुख्य रूप से **बनास नदी बेसिन** में पाई जाती है।

9) **पर्वतीय मिट्टी**:- यह मिट्टी मुख्य रूप से **राजस्थान के अरावली पर्वतीय प्रदेशों में** पाई जाती है।

10) **लवणीय मिट्टी** :- राजस्थान में यह मिट्टी मुख्य रूप से श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर में पाई जाती है।
इस मिट्टी में लवणीय और क्षारीय तत्व अधिक होने के कारण यह अनुपजाऊ मिट्टी है।
इस मिट्टी में जिप्सम, जैविक खाद, रॉक फॉस्फेट आदि के उपयोग से इसे उपजाऊ बनाया जा सकता है।

11) **भूरी जलोढ़ मिट्टी** :- श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में पाई जाती है।

अध्याय – 7

प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं एवं जल संरक्षण तकनीकें

❖ **सिंचाई**-

- फसलोंत्पादन में जल के अभाव में पौधे को जीवन असम्भव होता है ।
- पौधों को जीवनकाल में अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है ।
- प्राकृतिक रूप से जल की आवश्यकता पूर्ति नहीं हो पाती है। तब पौधे की वृद्धि एवं विकास के लिए कृत्रिम रूप से पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसे सिंचाई कहते हैं।
- राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है यहाँ की लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है ।
- राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के आधार पर वर्षा की कमी के कारण बलूई मिट्टी में सिंचाई की अत्यधिक आवश्यकता होती है ।
- राजस्थान में भारत के औसत वर्षा का लगभग आधे से भी कम औसत वर्षा होती है।
- सिंचाई कृषि को स्थायित्व प्रदान करती हैं लेकिन जिन स्थानों पर किसान वर्षा पर आधारित होते हैं उन स्थानों पर कृषि मानसून का जुआ बन जाता है।
- राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है जिसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है।

❖ **राजस्थान में सिंचाई के साधन –**

1. **कुएँ व नलकूप** -

- राजस्थान में कुएँ व नलकूप से लगभग 69.73% सिंचाई होती है।
- राजस्थान में सबसे अधिक इन साधनों से सिंचाई "जयपुर" जिले में होती है । इसके अलावा अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़ में होती है।

2. **नहरें** -

- राजस्थान में नहरों से लगभग 29.60% सिंचाई होती है।
- सबसे अधिक नहरों से सिंचाई श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में होती है, इसके अलावा चुरु, झुंझुनूं, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर आदि जिलों में भी नहरों के द्वारा ही सिंचाई होती है।

3. **तालाब** -

- राजस्थान में तालाब से 0.69% सिंचाई होती है ।
- सबसे अधिक तालाबों से सिंचाई वाला जिला "भीलवाड़ा" है, इसके अलावा दक्षिणी राजस्थान में भी तालाबों से सिंचाई होती है ।

राजस्थान में प्रमुख बांध एवं बावड़ियां

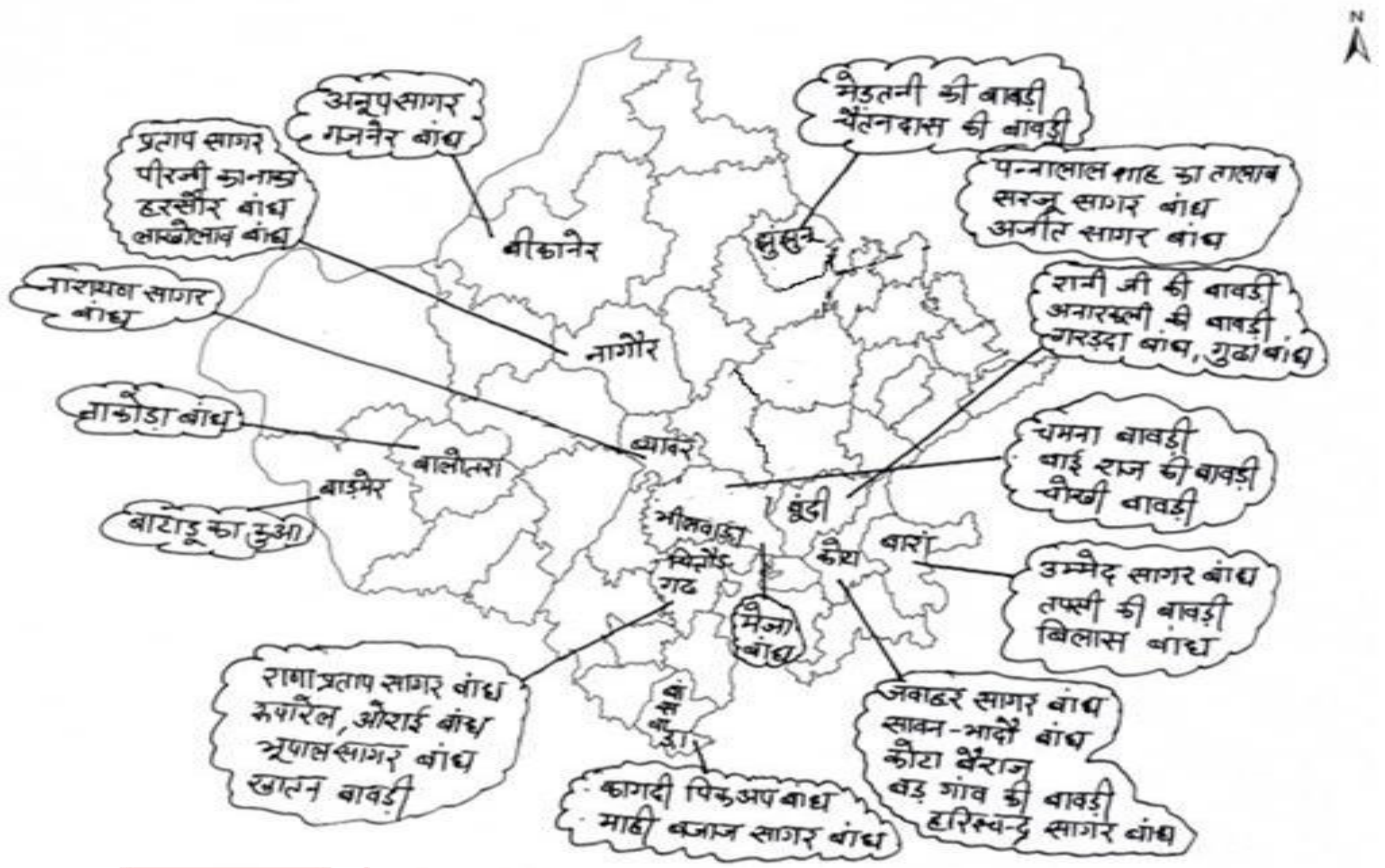

राजस्थान में प्रमुख बांध व बावड़ियां

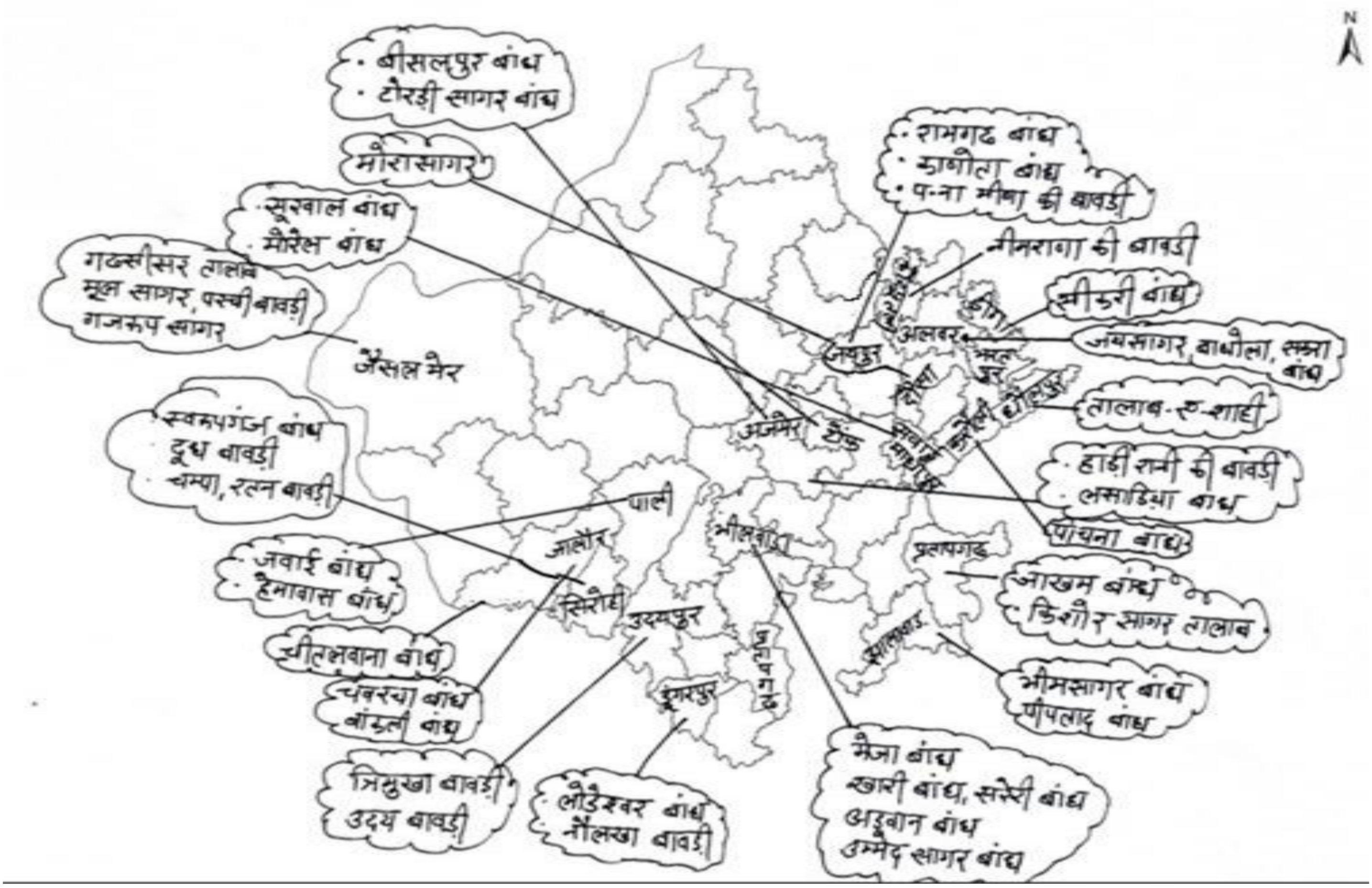

- उन्हें इस नहर को बनाने की प्रेरणा "गंगनहर" से मिली । इसका उद्गम व जल स्रोत सतलज व व्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज बाँध (पंजाब के फिरोजपुर) से हुआ।

➢ **यह परियोजना में दो चरणों में पूरी हुई-**

- प्रथम चरण के तहत "राजस्थान फीडर" 204 किमी. (150 किमी. पंजाब में, 20 किमी. हरियाणा में व 34 किमी. राजस्थान में) हरिके बैराज से मसीतावाली हैड (हनुमानगढ़) तक 1992 में पूरी हो गई।
- दूसरे चरण के तहत 256 किमी. का निर्माण करना था, जिसे बाद में 445 किमी. कर दिया। यह चरण मसीतावाली हैड (हनुमानगढ़) से मोहनगढ़ (जैसलमेर) तक था जिसे 165 किमी. और बढ़ाकर अंतिम स्थान गडरारोड़ (बाड़मेर) कर दिया जिसे जीरो पॉइन्ट कहा जाता है।
- (यह राजस्थान में 480 किमी. व बाहर 169 किमी. फैली हुई है, इस प्रकार इस की कुल लम्बाई 649 किमी. है।)
- इंदिरा गाँधी नहर परियोजना से राज्य के जिलों (श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चुरु, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी, बाड़मेर, नागौर, डीडवाना-कुचामन एवं झुंझुनूं) को पेयजल मिलेगा ।

- **जिसके लिए इस से लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं-**

1. **राजीव गाँधी लिफ्ट नहर परियोजना** –जिसे जोधपुर की जीवन रेखा कहते हैं जिससे जोधपुर व बाड़मेर के गाँवों को पेयजल दिया जाता है।
2. **कँवर सेन लिफ्ट नहर-** जिसे बीकानेर की जीवन रेखा कहते हैं। गंधेली सहवा परियोजना जर्मनी के के.पी. डब्ल्यू के सहयोग से शुरु। (प्राचीन नाम लूण करणसर लिफ्ट नहर) यह **सबसे लम्बी लिफ्ट नहर है ।** जिससे बीकानेर व श्रीगंगानगर जिले की जलापूर्ति होती है। इसे बीकानेर की जीवन रेखा कहते हैं।
3. **चौधरी कुम्भा राम आर्य लिफ्ट नहर** - (प्राचीन नाम नोहर सोहवा लिफ्ट नहर) यह सहायक नहरों सहित सबसे लम्बी लिफ्ट नहर (666.5किमी.) है अन्यथा कँवर सेन लिफ्ट नहर सबसे लम्बी (151 किमी.) है। इससे हनुमानगढ़, बीकानेर, चुरु, झुंझनूं मुख्यतः लाभान्वित होते हैं ।
4. **पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर-** (प्राचीन नाम गजनेर लिफ्ट नहर) इससे बीकानेर, डीडवाना-कुचामन व नागौर जिले की जलापूर्ति होती है।
5. **वीर तेजाजी लिफ्ट नहर-** (प्राचीन नाम बांगड़ सर लिफ्ट नहर) यह सबसे छोटी लिफ्ट नहर है जिससे बीकानेर जिले की जलापूर्ति होती है।
6. **डॉ. करणी सिंह लिफ्ट नहर-** (प्राचीन नाम कोलायत लिफ्ट नहर)। इस से बीकानेर व फलौदी जिले की जलापूर्ति होती है।
7. **गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर-** (प्राचीन नाम फलौदी लिफ्ट नहर) है जिससे जैसलमेर, बीकानेर, फलौदी व जोधपुर जिले की जलापूर्ति होती है।
8. **जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर-** (प्राचीन नाम पोकरण लिफ्ट नहर) जिससे जैसलमेर, फलौदी व जोधपुर जिले की जलापूर्ति होती है।
9. **गंग नहर परियोजना (बीकानेर नहर)-**

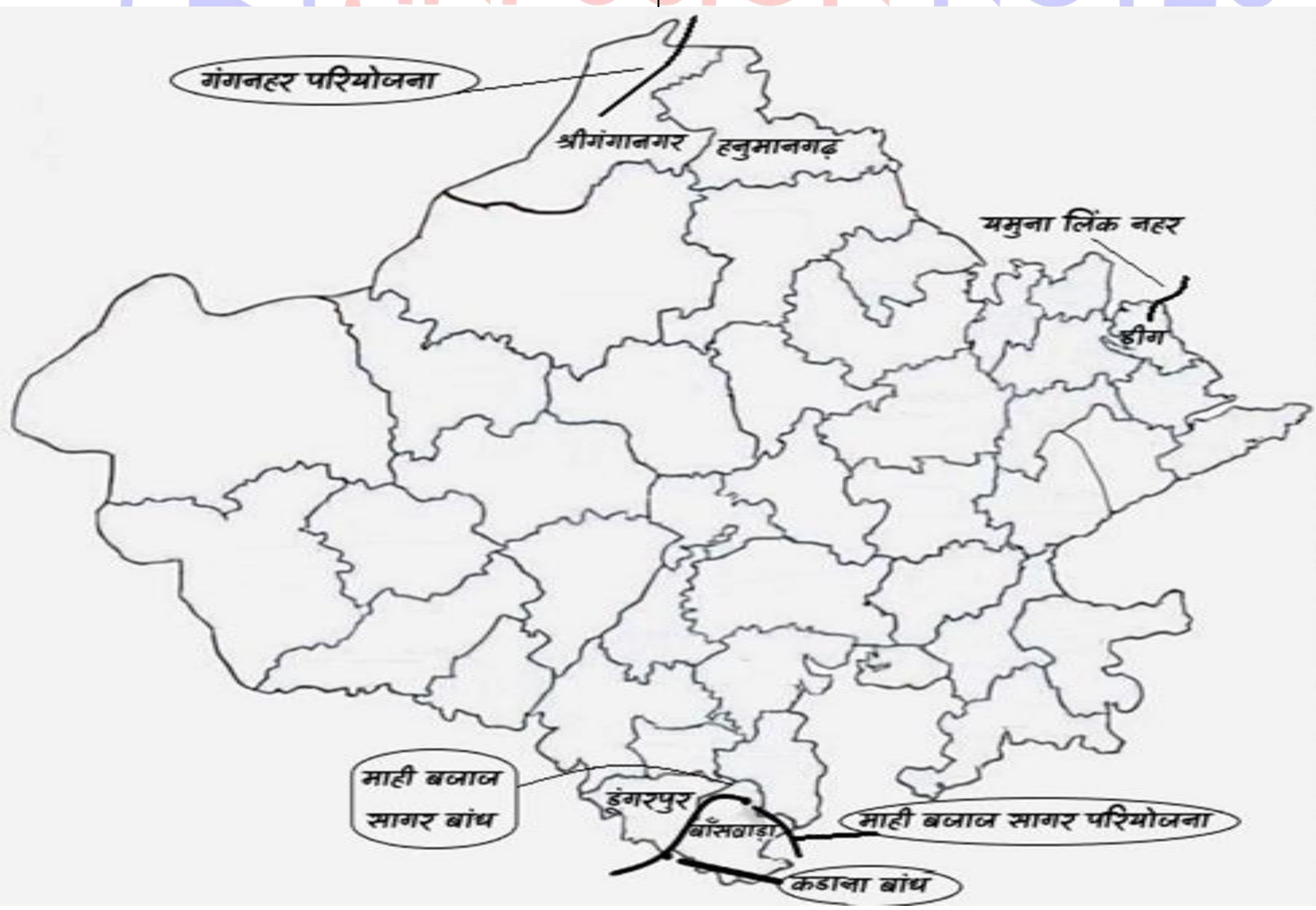

Dear Aspirants, here are the our results in differents exams (Proof Video Link)

RAS PRE. 2021 - https://shorturl.at/qBJ18 (74 प्रश्न, 150 में से)

RAS Pre 2023 - https://shorturl.at/tGHRT (96 प्रश्न, 150 में से)

UP Police Constable 2024 - http://surl.li/rbfyn (98 प्रश्न, 150 में से)

Rajasthan CET Gradu. Level - https://youtu.be/gPqDNlc6UR0

Rajasthan CET 12th Level - https://youtu.be/oCa-CoTFu4A

RPSC EO / RO - https://youtu.be/b9PKjl4nSxE

VDO PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856W18&t=202s

Patwari - https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s

PTI 3rd grade - https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s

SSC GD – 2021 - https://youtu.be/ZgzzfJyt6vI

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्नों की संख्या
MPPSC Prelims 2023	17 दिसम्बर	63 प्रश्न (100 में से)
RAS PRE. 2021	27 अक्तूबर	74 प्रश्न आये
RAS Mains 2021	October 2021	52% प्रश्न आये

RAS Pre. 2023	01 अक्टूबर 2023	96 प्रश्न (150 मेंसे)
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)
SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
RPSC EO/RO	14 मई (1st Shift)	95 (120 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	15 सितम्बर	126 (200 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	103 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (1st शिफ्ट)	59 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
U.P. SI 2021	14 नवम्बर 2021 1st शिफ्ट	91 (160 में से)
U.P. SI 2021	21नवम्बर2021 (1st शिफ्ट)	89 (160 में से)
Raj. CET Graduation level	07 January 2023 (1st शिफ्ट)	96 (150 में से)
Raj. CET 12th level	04 February 2023 (1st शिफ्ट)	98 (150 में से)
UP Police Constable	17 February 2024 (1st शिफ्ट)	98 (150 में से)

& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

Our Selected Students

Approx. 137+ students selected in different exams. Some of them are given below -

Photo	Name	Exam	Roll no.	City
	Mohan Sharma S/O Kallu Ram	Railway Group - d	114195120370022	PratapNagar Jaipur
	Mahaveer singh	Reet Level- 1	1233893	Sardarpura Jodhpur
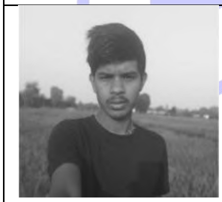	**Sonu Kumar Prajapati S/O Hammer shing prajapati**	SSC CHSL tier-1	2006018079	Teh.- Biramganj, Dis.- Raisen, MP
N.A	**Mahender Singh**	EO RO (81 Marks)	N.A.	teh nohar , dist Hanumangarh
	Lal singh	EO RO (88 Marks)	13373780	Hanumangarh
N.A	**Mangilal Siyag**	SSC MTS	N.A.	ramsar, bikaner

	MONU S/O KAMTA PRASAD	SSC MTS	3009078841	kaushambi (UP)
	Mukesh ji	RAS Pre	1562775	newai tonk
	Govind Singh S/O Sajjan Singh	RAS	1698443	UDAIPUR
	Govinda Jangir	RAS	1231450	Hanumangarh
N.A	**Rohit sharma s/o shree Radhe Shyam sharma**	RAS	N.A.	Churu
	DEEPAK SINGH	RAS	N.A.	Sirsi Road , Panchyawala
N.A	**LUCKY SALIWAL s/o GOPALLAL SALIWAL**	RAS	N.A.	AKLERA , JHALAWAR
N.A	**Ramchandra Pediwal**	RAS	N.A.	diegana , Nagaur

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

	Monika jangir	RAS	N.A.	jhunjhunu
	Mahaveer	RAS	1616428	village-gudaram singh, teshil-sojat
N.A	**OM PARKSH**	RAS	N.A.	Teshil-mundwa Dis- Nagaur
N.A	**Sikha Yadav**	High court LDC	N.A.	Dis- Bundi
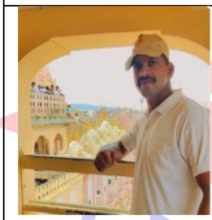	**Bhanu Pratap Patel s/o bansi lal patel**	Rac batalian	729141135	Dis.- Bhilwara
N.A	**mukesh kumar bairwa s/o ram avtar**	3rd grade reet level 1	1266657	JHUNJHUNU
N.A	**Rinku**	EO/RO (105 Marks)	N.A.	District: Baran
N.A.	**Rupnarayan Gurjar**	EO/RO (103 Marks)	N.A.	sojat road pali
	Govind	SSB	4612039613	jhalawad

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

	Jagdish Jogi	EO/RO (84 Marks)	N.A.	tehsil bhinmal, jhalore.
	Vidhya dadhich	RAS Pre.	1158256	kota
	Sanjay	Haryana PCS	96379 HARYANA PUBLIC SERVICE COMMISSION	Jind (Haryana)

And many others……

INFUSION NOTES
FREE SAMPLE

Click on the below link to purchase notes

WhatsApp करें – https://wa.link/0hjokf

Online Order करें – https://shorturl.at/Q6pjL

Call करें - 9887809083